प्रकाशन संख्या—239

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा

शिक्षक-संदर्शिका

NIEPA DC
D04862

राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान,

(रज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र०)

इलाहाबाद

1983

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No. 4862
Date 12/9/89

दो शब्द

आणविक युद्ध से आशंकित इस युग में अन्तर्राष्ट्रीय सद्‌भावना की शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट है। शिक्षा सही अर्थों में इस भूमिका का निर्वाह कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में प्रारम्भ से ही इस ओर ध्यान दिया जाय। इसी दृष्टिकोण से अध्यापकों के उपयोग के लिए यह संदर्शिका दो भागों में तैयार की गई है। पहले भाग में अन्तर्राष्ट्रीय सद्‌भावना के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही माध्यमिक स्तर के विभिन्न विषयों से सम्बन्धित उन प्रकरणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्‌भावना विकसित करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। दूसरे भाग में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उससे सम्बद्ध संगठनों के विषय में मार्ग दर्शन हेतु सामग्री दी गई हैं।

संदर्शिका की रचना परिषद् की इकाई, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान द्वारा की गई है। इसके लिए तत्कालीन प्राचार्य श्री पी० सी० श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों ने सराहनीय कार्य किया।

दिनांक : लखनऊ : मार्च २२, १९८४

(डा०) गुरुमौज प्रकाश
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश।

आमुख

वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में समय तथा स्थान सम्बन्धी दूरी संकुचित हो गई है और इसने मनुष्य को मनुष्य के अति निकट ला दिया है। फलस्वरूप विश्व के किसी भाग में होने वाली कोई प्रगति अथवा आपदा अन्य भागों को अनुप्रभावित नहीं छोड़ती। अतः प्रगति की दिशा अग्रसर होने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक सहयोग में ही मानव जाति का कल्याण निहित है। वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों में मानव कल्याण हेतु राष्ट्रों में परस्पर आदान-प्रदान की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इसे बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। परन्तु विभिन्न राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना के विकास के बिना इस दिशा में वांछित सफलता सम्भव नहीं है। साथ ही युद्ध की विभीषिका से विश्व की सुरक्षा एवं विश्व शान्ति की स्थापना के लिए भी पारस्परिक सद्भावना अनिवार्य है। अतएव अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाना अभीष्ट है और इसमें शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए विद्यालयों में प्रारम्भ से ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और इस दायित्व का वहन उनमें कार्यरत अध्यापकों द्वारा ही सम्भव है। अतः माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा सम्बन्धी इस संदर्शिका की रचना डा० गुरु मौज प्रकाश, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र० की संकल्पना को मूर्तरूप देने के प्रयास स्वरूप हुई है। सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए हम डा० प्रकाश के प्रति हृदय से आभारी हैं।

इस संदर्शिका के दो भाग हैं। प्रथम भाग में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम सम्बन्धी उन विषयों और प्रकरणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। साथ ही इस दिशा में उपयोगी विविध शैक्षिक क्रिया कलापों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। द्वितीय भाग में संयुक्त राष्ट्र तथा उससे सम्बद्ध विभिष्ट संगठनों विशेषतः यूनेस्को के विषय में शिक्षा प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया है। इसका प्रणयन तत्कालीन प्राचार्य श्री पी० सी० श्रीवास्तव के निर्देशन में हुआ था, अतः हम उनके भी आभारी है।

अध्यापक समाज इससे लाभान्वित हो सके, इसी में इस प्रयास की सफलता निहित है।

संस्थान के प्रोफेसर हरीश प्रसाद श्रीवास्तव एवं प्रोफेसर श्याम कृष्ण वर्मा जो इस कार्य के क्रमशः प्रभारी और साहप्रभारी रहे हैं, प्रोफेसर सन्तोष शरण कपूर श्री गुरुप्रसाद त्रिपाठी, श्री वहीद अहमद, श्री इन्द्रपाल यादव तथा श्री रामसुख पांडेय इस संदर्शिका को तैयार करने में योगदान के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। श्री श्याम नारायण राम उप प्राचार्य को इस कार्य के सम्पादन में सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद है।

प्रयाग दत्त दीक्षित
प्राचार्य
राजकीय सेण्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट
इलाहाबाद

दिनांक : इलाहाबाद : मार्च 20, 1984

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ
भाग 1	
(1) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं शिक्षा	1
(2) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्य	4
(3) इतिहास द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा	5
(4) भूगोल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा	6
(5) नागरिक शास्त्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा	9
(6) सामाजिक विज्ञान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा	11
(i) प्रागैतिहासिक मानव जीवन के विकास क्रम एवं स्वरूप की एकरूपता	11
(ii) संसार के प्रमुख धर्मों के आधारभूत लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों की समानता का अध्ययन	13
(iii) संसार की प्रमुख क्रान्तियों के विश्वव्यापी प्रभाव का ज्ञान	14
(iv) भारतीय संस्कृति के स्वरूप संवर्द्धन में विभिन्न संस्कृतियों के योगदान का अध्ययन	14
(v) भारतीय मनीषियों का विज्ञान में योगदान	15
(vi) भारतीय नवजागरण में पाश्चात्य विचारधाराओं की भूमिका का ज्ञान	16
(vii) भारत की विदेश नीति -गुट निरपेक्षता, अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध, पंचशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व	17
(viii) भारत के आर्थिक विकास में अन्य देशों का सहयोग	18
(ix) विश्व एक कुटुम्ब	22
(x) राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता	23
(7) भाषा शिक्षण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा	35
(8) विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना	26
(9) सहायक शिक्षण सामग्री	30
(10) सहपाठ्यक्रमीय क्रिया-कलाप	34
भाग 2	
(1) संयुक्त राष्ट्र संघ	39
(2) विद्यालय एवं संयुक्त राष्ट्र संघ	45
(3) यूनेस्को	47
(4) यूनेस्को क्लब	54
(5) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)	59
(6) मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (ह्यूमन राइट्स)	64
परिशिष्ट-I	70

भाग 1

अध्याय 1

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं शिक्षा

व्यक्ति का सर्वाङ्गीण विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व है और इस कार्य में व्यक्ति के समाजीकरण की संकल्पना भी समाहित है। यह नितान्त आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं समाज के अंग के रूप में अपनी भूमिका के प्रति जागरुक हो सके और समाज के कल्याण में अपना योगदान कर सके।

समाज की सीमा-रेखा का मानव-सभ्यता के विकास के साथ-साथ विस्तार हुआ है। वैज्ञानिक प्रगति ने दूरियों के व्यवधान को समाप्त करके न केवल भौतिक दृष्टि से वरन् सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि विविध पक्षों से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को परस्पर निकट ला दिया है। पृथ्वी के किसी कोने में घटित कोई घटना, कोई समस्या, ज्ञान की एक नयी किरण, एक आविष्कार समग्र संसार को प्रभावित कर देता है। विश्व के किसी क्षेत्र में भड़की युद्धाग्नि सम्पूर्ण विश्व की चिन्ता का विषय बन जाती है।

विश्व में ज्ञान का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति सम्पूर्ण मानव समाज को प्रभावित कर रही है। जहाँ एक विश्व-मानव समाज के विकास की ओर कदम बढ़ रहे हों वहाँ क्या यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा इस विकास में अपना योगदान करे ?

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के प्रति जागरुकता प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्धों के पश्चात् विशेष रूप से उदित हुई जबकि युद्ध की विभीषिका और व्यापक विनाश ने सभी देशों के निवासियों को झकझोर दिया। फलतः प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् 'लीग आव नेशन्स' का जन्म हुआ और उसकी असफलता के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात 'संयुक्त राष्ट्र संघ' की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व-शान्ति के लिए केवल युद्ध रोकने की निषेधात्मक भूमिका निभाने के लिए नहीं कार्यरत है वरन् सम्पूर्ण विश्व में सद्भावना, अन्याय से मुक्ति, मानव-कल्याण, सहयोग—वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि—की स्थापना के लिए सतत प्रयत्नशील है।

इसके बावजूद भी आज विश्व आणविक युद्ध की विभीषिका की सम्भावना से भयाक्रान्त है। बहुमुखी उत्कर्ष के होते हुए भी विविध राष्ट्रों में परस्पर पूर्वाग्रह जनित दुर्भावना है, भय, शंका और अविश्वास है, असुरक्षा की भावना से वे त्रसित हैं। ये मानसिक भावनायें परस्पर सद्भावना के विकास में बाधक है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि युद्धों के उदय का स्रोत मानव-मन है। अतः यह आवश्यक है कि शान्ति और सहयोग का बीज भी मानव-मन में बोया जाय और इस दायित्व का वहन करना शिक्षा की अनिवार्य भूमिका है। एतदर्थ अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए प्रभावी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का तात्पर्य यह है कि विभिन्न देशवासियों में अन्य देशवासियों के प्रति अप्रिय धारणायें, भय, आशंका, अविश्वास और असुरक्षा की भावना समाप्त हो और जीवन-शैली, सांस्कृतिक परम्पराओं, भाषा, प्रजाति, धर्म, आर्थिक स्तर आदि की भिन्नता होते हुए भी उनमें एक दूसरे के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाते हुए मैत्रीभाव एवं सहयोग की भावना हो। राष्ट्रों में विभिन्नता स्वाभाविक है और विवेक के साथ अन्य मानव-समुदायों से शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर अन्तःक्रिया करना सक्रिय सद्भावना है। यू थां (U. Thant),

भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार हमें संसार को ऐसा बनाना है जहाँ विविधता को सुरक्षा मिल सके ।

हमारे संविधान में भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सद्भावना के महत्व को स्वीकार किया गया है । संविधान की धारा 51 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रों के मध्य न्यायोचित एवं सम्मानपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने, अन्तर्राष्ट्रीय विधान तथा राष्ट्रों के मध्य सन्धियों के प्रति आदर जागरित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को समझौते से निस्तारित करने को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जायेगा ।

राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना :

राष्ट्रीयता की भावना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में विरोध होने की शंका हो सकती है । परन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि वस्तुतः इनमें कोई विरोध नहीं होना चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना वास्तव में सह-सम्बन्धों का एक व्यापक रूप है; जिसकी नींव व्यक्तियों के बीच सद्भावना है । यह वृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहयोग को बल प्रदान करेगी । राष्ट्रीय हित पृथकतावादी दृष्टिकोण अपनाने से सिद्ध नहीं हो सकता । मैत्रीपूर्ण सह-अस्तित्व, सद्भावना एवं सहयोग ही सही अर्थों में राष्ट्रहित का साधन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिये शिक्षा :

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी । इसमें विद्यालय तथा समाज सभी का योगदान आवश्यक है । परन्तु इस सद्भावना की शिक्षा एक पृथक विषय के रूप में सार्थक न होगी । विद्यालय के वर्तमान पाठ्यक्रम के माध्यम से तथा अध्यापकों द्वारा इस प्रकार की शिक्षा का दिया जाना सम्भव है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है । पाठ्यविषय के प्रस्तुतीकरण में उसे उन स्थलों के प्रति जागरुक रहना है जो सद्भावना के विकास में बाधक अथवा सहायक हो सकते हैं । तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए आलोचनात्मक चिन्तन करने के लिये प्रेरित करने की आवश्यकता है ताकि वे तथ्यात्मक निर्णय ले सकें एवं दोषपूर्ण धारणायें बनाने की भूल न करें ।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में अभिवृत्तियों का उचित निर्माण अपेक्षित है और इस दिशा में बच्चे अपने परिवार के सदस्यों, समाज, अध्यापकों आदि द्वारा प्रदर्शित अभिवृत्तियों से प्रभावित होते हैं । अभिभावकों, अध्यापकों एवं समाज के प्रबुद्ध जनों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे बच्चों को पूर्वाग्रहों से बचायें । किसी मानव समुदाय के विषय में प्रचलित भ्रान्त धारणायें बालक-बालिकाओं पर लादने की चेष्टा न करें, वरन् उन्हें मुक्त रूप से सत्य-असत्य का निर्णय करने का अवसर प्रदान करें ।

पाठ्यक्रम में उपलब्ध विविध विषयों की सामग्री का अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है । उसके प्रस्तुतीकरण में एक नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता है । सामाजिक विज्ञान इसमें विशेष समर्थ सिद्ध होंगे । उदाहरणतः, इतिहास को मानव सभ्यता के विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने से विश्व-समाज के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण का उदय होगा । भूगोल द्वारा वातावरण के प्रति अनुकूलन के लिए मानव जाति के प्रयास और विविधता की स्वाभाविकता तथा विभिन्न देशों का पारस्परिक सहयोग प्रकाश में लाया जाय । अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक सहयोग, नागरिक शास्त्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के अध्ययन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की सृष्टि तथा अपने देश के संविधान में समाविष्ट उच्च मानवीय आदर्शों की अनुभूति होगी । विज्ञान के अध्ययन में विविध

देशों के वैज्ञानिकों के मानव-कल्याण में योगदान से मानव समुदायों के प्रति आत्मीयता का भाव उदय करने में सहायता ली जा सकती है।

पाठ्यविषय के अतिरिक्त विविध क्रिया-कलापों तथा जनसंचार माध्यमों द्वारा भी इस कार्य में सहायता मिलेगी। अन्य देशों से सम्बन्धित लोक-कथायें, लोक संगीत, अभिनय, फैन्सी ड्रेस, विविध देशों से सम्बन्धित चित्रों की प्रदर्शिनी, अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों आदि का आयोजन करना हितकर होगा। रेडियो टेलिविजन के प्रसारण, पत्र-पत्रिकाओं में उपलब्ध सामग्री, अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद आदि भी सद्भावना के विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

अध्याय 2

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिये शिक्षा के उद्देश्य

किसी कार्यक्रम को उचित दिशा देने तथा उसमें सफलता प्राप्त करने के लिये सुस्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के लिए उद्देश्यों की स्पष्ट संकल्पना होनी चाहिए।

इस दिशा में यूनेस्कों एक्जिक्युटिव बोर्ड के सदस्यों की एक समिति ने अपने प्रतिवेदन में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा हेतु लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित कार्य करने पर बल दिया है—

(1) यह स्पष्ट करना कि जब तक मानव जाति को एक विश्व-समाज की संकल्पना से अवगत कराने हेतु उपक्रम न किया जायेगा तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की भावना के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण सम्भव न होगा।

(2) यह स्पष्ट करना कि जीवन-शैली और विचार धाराओं में भिन्नता के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करना सभी देशों का कर्त्तव्य है और उसमें उनका हित भी है।

(3) यह स्पष्ट करना कि सभ्यता का विकास अनेकानेक राष्ट्रों के योगदान से होता है तथा समस्त राष्ट्र एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर करते हैं।

(4) अतीत और वर्तमान दोनों ही कालों में मानव समुदायों की जीवन शैली, परम्पराओं, विशिष्टत्ताओं, उनकी समस्याओं तथा उनके निदान की विधाओं में विभिन्नता के उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट करना।

(5) यह स्पष्ट करना कि युगों से जो नैतिक, बौद्धिक एवं तकनीकी प्रगति क्रमशः हुई है वह मानवा मात्र का सामूहिक उत्तराधिकार बन गयी हैं। यद्यपि संसार अब भी विरोधी राजनैतिक हितों एवं तानावों के परिणाम स्वरूप विभक्त है, तथापि राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता हर दिशा में उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष होती जा रही है।

(6) यह स्पष्ट करना कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य राष्ट्रों के मध्य स्वेच्छा से हुए समझौते उसी सीमा तक प्रभावी होंगे जिस सीमा तक उन्हें वे राष्ट्र सक्रिय तथा प्रभावपूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करेंगे।

(7) लोगों के मन में विशेष रूप से युवजनों के मन में विश्व समुदाय और विश्वशान्ति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागरित की जानी चाहिए।

(8) समुन्नत अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहयोग की आधारशिला स्थापित करने की दृष्टि से बच्चों में स्वस्थ सामाजिक अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

अध्याय 3

इतिहास द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिये शिक्षा

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में इतिहास की भूमिका महत्वपूर्ण है। इतिहास के माध्यम से विश्व के विस्तृत भूभाग पर फैले मानव-समूहों के कृत-क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। 'अतीत की घटनाओं अथवा अनुभवों तथा उनके प्रति की गई प्रतिक्रियाओं एवं अनुक्रियाओं का लेखा-जोखा ही इतिहास की विषय-वस्तु है। इतिहास का छात्र व्यक्ति अथवा समूह विशेष के द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के आधार पर मानव-विकास के लिये अभीष्ट क्रियाओं का चयन किया जाता है तथा ऐसी क्रियाओं को जो मानव को मानव से पृथक करती हैं अथवा उनमें पारस्परिक कटुता एवं भेद-भाव उत्पन्न करती हैं, उनका परित्याग कर दिया जाता है। विश्व इतिहास में दोनों प्रकार के दृष्टान्त उपलब्ध हैं। यह भी सत्य है कि इन दोनों परस्पर विरोधी पक्षों ने प्रायः पृथक-पृथक दिशाओं में अभिव्यक्ति की है। इतिहास की विषय-वस्तु सर्जक होने के साथ विध्वंसक भी बनाई गई है। परन्तु देश, काल, जाति, रंग अथवा धार्मिक विश्वास से उत्पन्न विरूपताओं का परित्याग तथा संस्कृति की उत्तम अभिव्यक्तियों की स्वीकृति, यही इतिहास के छात्र का लक्ष्य है।

यहाँ इतिहास की घटनाओं एवं प्रवृत्तियों का उल्लेख समीचीन होगा जिनके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है—

(1) मानव-विकास क्रम के सोपानों का अध्ययन छात्रों में मानव की समस्या और उसके समाधान की एकरुपता को समझने में सहायक होगा। आखेटक, कृषक तथा पशुपालक मानव के विकास-क्रम की एकरूपता को समझने के लिये उसकी परिस्थितियों, समस्याओं तथा समाधान के प्रयासों में आधारभूत समानता के दर्शन होंगे जिससे निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होगा।

(2) व्यक्ति द्वारा समूह एवं समुदाय की आवश्यक्ता की अनुभूति एवं उसका निर्माण।

(3) समूह-जीवन के सम्यक, निर्वाह हेतु विविध संस्थाओं का उदय।

(4) नैतिकता की समूह-जीवन के लिये आवश्यकता की अनुभूति और इस प्रकार विविध धर्मों का प्रादुर्भाव। अभ्युदय के लक्ष्य की समानता के कारण धार्मिक शिक्षाओं में समानता।

(5) भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं जीवन को सुखद बनाने के लक्ष्य से वस्तुओं की अदला-बदली और परिणामतः वाणिज्य एवं व्यापार का जन्म।

(6) श्रम-क्लान्त मानव द्वारा अपने खाली समय के सदुपयोग के लिये किये गये प्रयासों के परिणाम के रूप में साहित्य, कला एवं संगीत की अभिव्यक्ति।

(7) परम्परा एवं रूढ़ि की विकृतियों के कारण उत्पन्न गतिरोध एवं ठहराव को समाप्त करने के लिये जन-जागति अथवा जनक्रान्तियाँ। इन जन-क्रान्तियों के विश्वव्यापी प्रभाव का ज्ञान।

अध्याय 4

भूगोल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा

विज्ञान की प्रगति ने जहाँ मानव कल्याण के लिए अद्भुत आविष्कार किए हैं वहीं सम्पूर्ण जगत को चन्द मिनटों में समाप्त कर देने की शक्ति भी प्राप्त कर ली है। आज का मानव भयंकर युद्धों से दुखी तथा परमाणु एवं न्यूट्रान अस्त्र-शस्त्रों से आतंकित होकर संसार में शान्ति और सद्भावना की खोज में लगा हुआ है। मानव के हृदय में मानव के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर तथा संसार के विभिन्न भागों के निवासियों को एकता तथा प्रेम के सूत्र में बाँध कर ही संसार में स्थायी शान्ति स्थापित की जा सकती है। यही कारण हैं कि विश्व के देश छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से अपनी शिक्षा प्रणालियों के पुर्ननिमाण में लगे हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग पर आधारित शिक्षा में भूगोल का विशेष महत्व है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एकता और मेलजोल की जितनी आवश्यकता आज के युग में है उतनी पहले कभी न थी। इसके लिए संसार की वास्तविक और पूर्ण जानकारी आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है जिससे विभिन्न मानव समुदाय एक दूसरे के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह ज्ञान भूगोल के माध्यम से कराया जा सकता है जैसा कि उसकी परिभाषा से ही प्रगट होता है। भूगोल के अध्ययन का अर्थ विश्व मानव समुदायों को उनके आवास स्थलों की पृष्ठभूमि में जानकारी प्राप्त कराना है।* तथा सं० रा० अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति आइजन हॉवर: ने भी कहा है—"भूगोल मानवता का आधार है। मानवता की शिक्षा के बढ़ते हुए प्रभाव को पूर्ण करने में भूगोल सबसे बड़ा सहायक है। आधुनिक भूगोल अपनी परिभाषा से ही शक्ति का आधार है।" भूगोल सामाजिक विषय का एक अंग है जिसके शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में देश-विदेश के निवासियों के प्रति सच्ची सहानुभूति उत्पन्न की जा सकती है। भूगोल के माध्यम से सम्पूर्ण संसार का 'मानव निवास' के रूप में विशद् दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है। प्राकृतिक वातावरण तथा मानव जीवन में पारस्परिक सम्बन्ध है। इन दोनों में क्या तथा कैसी प्रतिक्रियाएँ हुई हैं, मानव का वातावरण के साथ कैसे अनुकूलन हुआ है आदि की विस्तृत जानकारी दी जाती है। संसार के विभिन्न भागों का वर्णन, वहाँ के निवासियों के रहन-सहन पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव जानकर हम उनके जीवन को भली-भाँति समझ सकते हैं। प्रकृति के निर्जीव तत्व जैसे भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, अकाल, समुद्री तूफान, भू-स्खलन, तेज-तूफान आदि मानव जीवन को कैसे अस्तव्यस्त कर देते हैं इत्यादि का ज्ञान मानव के प्रति सहानुभूति पैदा करते हैं। हमें यह भी ज्ञान होता है कि भिन्न-भिन्न देश किस प्रकार कच्चा माल तथा बनी हुई वस्तुएँ भेजकर व्यापार द्वारा एक दूसरे की सहायता करते हैं। विश्व के प्राकृतिक खनिज पदार्थों का उत्पादन एवं वितरण, आवागमन के साधन व्यवसाय-विदेशी व्यापार आदि के भौगोलिक अध्ययत से छात्र राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता से परिचित होते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में बहुत बड़ा साधक है। कैप्टन स्कॉट, शैकल्टन, पियरी, लिविंगस्टन, मंगोपार्क, मार्कोपोलो की यात्राएँ मानव कल्याण की भावना को विकसित करती हैं। 90% भूगोल का अध्ययन मानचित्रों पर आधारित है। यह बालकों में विश्व को एक कुटुम्ब के रूप में देखने का दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। कुछ भौगोलिक ग्रंथियों जैसे संसार की बड़ी औद्योगिक तथा आर्थिक शक्तियाँ, संसार के मुख्य कृषि प्रदेश और अधिक जनसंख्या वाले भागों के अध्ययन से संसार के विभिन्न भागों की तुलना का अवसर छात्रों को मिलता है तथा पारस्परिक सहयोग की जानकारी होती है।

---

*"भूगोल मानव-समूहों का अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन है।"

हाईस्कूल स्तर पर भूगोल पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नखिखित प्रकरण ऐसे हैं जिनके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा सहज ही प्रदान की जा सकती है—

प्राकृतिक भूगोल

प्रथम प्रश्न-पत्र—भूकम्प एवं ज्वालामुखी—इनसे प्रभावित क्षेत्रों अथवा देशों के निवासियों के सहायतार्थ विश्वस्तर की सहायता पहुंचाने वाली संस्थाओं का सहयोग तथा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सहायता का विवरण दिया जाय।

संसार के प्रमुख जलवायु प्रदेश—वहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तृत अध्ययन कराया जाय। ताकि क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों से छात्र परिचित हो सकें। विभिन्न मानव समुदायों के बीच आदान-प्रदान एवं सहयोग की भावना से एक-दूसरे के निकट आने की बात सोच सकें।

जल मण्डल—इसका अध्ययन कराते समय छात्रों को इस बात की ओर इंगित किया जाय क्योंकि एक समुद्र कई देशों की सीमाओं से लगा हुआ होता है तथा यह यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है।

महाद्वीपों का प्रारम्भिक अध्ययन—इसमें छात्र विश्व के सभी महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं जिससे उनमें क्षेत्रवाद अथवा राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर "विश्व एक राष्ट्र" का वृहद दृष्टिकोण जाग्रत होता है तथा सम्पूर्ण विश्व को एक दृष्टि में देख सकने की क्षमता उत्पन्न होती है।

आर्थिक भूगोल

द्वितीय प्रश्न-पत्र (भारत का भूगोल)

प्रमुख उद्योग—उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ, शक्ति बाजार तथा आवश्यक उपकरण एवं तकनीकी सम्बन्धी सहयोग किन देशों से प्राप्त है तथा भारत के उद्योगों में तैयार माल के ग्राहक देशों की जानकारी से छात्रों में अन्योन्याश्रितता की भावना जाग्रत होती हैं।

भारत का विदेशी व्यापार—व्यापार के माध्यम से अनेक राष्ट्र एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। भारत में किन-किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात किन देशों को होता है इत्यादि का उद्धृत रूप से स्पष्टीकरण होना चाहिए। विदेशी व्यापार के संदर्भ में अन्य राष्ट्रों का भारत के साथ सम्बन्ध किस प्रकार से बढ़ रहा है अध्यापक द्वारा अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

सामाजिक अध्ययन द्वितीय प्रश्न-पत्र के अन्तर्गत भूगोल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को प्रोत्साहन देने वाले निम्नलिखित प्रकरण महत्वपूर्ण है :

(1) वर्तमान विश्व में जन-जीवन वातावरण और भावात्मक अनुकूलन।

(2) विकसित देशों में जनजीवन ।

(3) विकासशील देशों में जनजीवन

(4) वर्तमान विश्व एक कुटुम्ब : (1) राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता
(2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार
(3) आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग
(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग

(5) महत्वपूर्ण नहरें : स्वेज तथा पनामा आदि ।

उपर्युक्त प्रकरणों का शिक्षण करते समय शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मानव जीवन की तुलना कराये तथा सहयोग की आवश्यकता पर बल दे । विकसित देश किस प्रकार विकासशील देशों अथवा अविकसित देशों की सहायता कर रहे हैं तथा विकासशील एवं अविकसित देशों की आपसी भूमिका क्या है इत्यादि पर विशेष बल देते हुए राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता का आभास करायें । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग किस सीमा तक उपलब्ध है तथा इसमें विस्तार की कितनी आवश्यकता है आदि बातों की विस्तृत जानकारी देते हुए छात्रों में विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास कर सकते हैं ।

अध्याय 5

नागरिक शास्त्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा

अन्तर्राष्ट्रीयता के द्वारा छात्रों में स्नेह उदारता, सेवा सहानुभूति, सहिष्णुता तथा परोपकार आदि गुणों का विकास होता है। इस पवित्र भावना के द्वारा विश्व के स्वतंत्र राष्ट्र शान्ति समानता एवं सहयोग आदि के बंधनों में बँधकर स्वयं को परिवार का एक सदस्य समझने लगते हैं। आज विश्व का प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को मानता है कि मानव सभ्यता की रक्षा हेतु अन्तर्राष्ट्रीयता परम आवश्यक है। आज कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से अलग रहकर न तो अपना विकास ही कर सकता है और न तो सुरक्षित ही रह सकता है। इस बात की सम्भावना उत्पन्न हो गई है कि यदि संसार के सब राष्ट्र परस्पर मिलकर रहें और भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता करें तो दुनिया के सभी राष्ट्रों को सुखी और सम्पन्न बनाया जा सकता है तथा भुखमरी, दरिद्रता, बीमारी और अज्ञान को पृथ्वीतल से सदैव के लिए दूर किया जा सकता है।

वर्तमान युग में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना केवल लोकप्रिय ही नहीं हुई है बल्कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है छात्रों के अन्दर अनेक मानवीय एवं सामाजिक गुणों का विकास होना इससे धार्मिक संकीर्णता दूर हो जाती है। इसकी शिक्षा से छात्रों का मस्तिष्क एवं भावनायें उदार बनेंगी तथा युवकों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि वे समाज के व्यापक जीवन में प्रभावपूर्ण व उपयोगी ढंग से भाग ले सकें।

आज अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास पर इस कारण बल दिया जा रहा है कि विज्ञान में मानव को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मामलों में अन्योन्याश्रित बना दिया है। आज कोई घटना किसी भी देश में क्यों न घटित हो, वह केवल उसी देश की घटना नहीं रहती है बल्कि विश्व के सभी देशों को प्रभावित करती है।

आधुनिक धारणा के अनुसार नागरिक शास्त्र नगर राज्यों तक सीमित नहीं है वरन् इसके क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व आता है। इसका क्षेत्र परिवार से प्रारम्भ होकर पड़ोस, नगर, जिला, राज्य एवं राष्ट्र से गुजरता हुआ विश्व तक आता है। आज के नागरिक के कर्त्तव्यों की सूची में उसके विश्व के प्रति कर्त्तव्य भी सम्मिलित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक शास्त्र हमें "रहो और रहने दो" के सिद्धान्त को सिखाता है। यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इस सद् विचार के द्वारा ही "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना का विकास किया जा सकता है।

आधुनिक युग में जीवन के लोकतंत्रीय ढंग को प्राप्त करना मानव का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में नागरिक शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह शास्त्र मनुष्य को लोकतंत्र के सिद्धान्तों एवं उसकी मान्यताओं का ज्ञान प्रदान करता है। इस शास्त्र का ज्ञान आधुनिक युग में फैले अविश्वास एवं संदेहों को दूर करने में भी सहायक है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते है कि इसके ज्ञान से राष्ट्रों के बीच जो तनाव एवं सन्देहपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसे दूर किया जा सकता है।

इसके अध्यापन से छात्रों में समझदारी, सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावनाओं का विकास किया जा सकता है। इन भावनाओं के विकास के लिए नागरिक-शास्त्र की विषय-वस्तु में बहुत से तत्व मिलते हैं। इसके

अतिरिक्त छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं उनके कार्यों को इसके पाठ्यकम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। साथ ही नागरिक शास्त्र की विषय-वस्तु में उन तत्वों को भी स्थान प्रदान किया गया जो मानवीय सम्बन्धों को व्यापक एवं उदार बनाने में सहायक हैं।

छात्रों के अन्दर अनेक मानवीय एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है जो आधुनिक युग में अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। धार्मिक संकीर्णता दूर हो जाती है। इसकी शिक्षा से छात्रों का मस्तिष्क उदार एवं भावनायें व्यापक बनेगी तथा युवकों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि वे समाज के व्यापक जीवन में प्रभावपूर्ण व उपयोगी ढंग से भाग ले सकें। इससे सामाजिक दायित्व की भावना दृढ़ होगी। छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुण विकसित होंगे।

समाज नामक पाठ से छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जा सकती है। परिवार एवं कुटुम्ब पाठ के अन्तर्गत छात्रों में सहयोग, स्नेह, उदारता, सहानुभूति, त्याग एवं अनुशासन की उत्तम शिक्षा मिलती है।

नागरिकता पाठ के अन्तर्गत छात्रों में लोकसेवा की भावना, जागरुकता, कर्त्तव्य पराणयता, कानून का पालन, स्वावलम्बन तथा आत्म संयम आदि गुणों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त अधिकार एवं कर्त्तव्य, स्वतंत्रता व समानता, राज्य, अन्तर्राष्ट्रीयता तथा संविधान नामक पाठ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा छात्रों को भली-भाँति दी जा सकती है।

अध्याय 6

सामाजिक विज्ञान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा

जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है शिक्षा के उद्देश्यों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास का लक्ष्य समाहित है। प्रचलित पाठ्यक्रम इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। सामान्यत: यह स्वीकार किया जाता है कि उचित दृष्टिकोण अपनाकर लगभग सभी विद्यालयीय विषयों का अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस दृष्टि से सामाजिक विज्ञान का विशेष महत्व है। वर्तमान दस वर्षीय सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान अनिवार्य विषय है और इसके द्वारा भारत सहित विश्व-समाज के विकास और राष्ट्रों की परस्पर अन्तर्क्रिया का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत अध्ययन किये जाने योग्य कुछ प्रमुख प्रकरणों का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को प्रोत्साहन मिल सकता है। ये प्रकरण निम्नवत् हैं :—

(1) प्रागैतिहासिक मानव जीवन का विकास-क्रम।

(2) संसार के प्रमुख धर्मों में निहित आधारभूत सिद्धान्त।

(3) संसार की प्रमुख क्रान्तियों का विश्वव्यापी प्रभाव।

(4) भारतीय संस्कृति के स्वरूप संवर्धन में विभिन्न संस्कृतियों का योगदान।

(5) प्राचीन भारत के मनीषियों का ज्ञान-विज्ञान के संवर्द्धन में विश्वव्यापी योगदान।

(6) भारत की विदेश नीति—गुट निरपेक्षता।

(7) भारत के आर्थिक विकास में अन्य देशों का सहयोग।

(8) भारतीय नवजागरण में पाश्चात्य विचारधाराओं की भूमिका।

(9) राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(10) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शान्ति की समस्यायें, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विभिन्न अभिकरणों का योगदान, सार्वभौम मानव अधिकार।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अनेक अन्य प्रकरणों से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहायता ली जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि पाठ्य-वस्तु से जिन संकल्पनाओं एवं अभिवृत्तियों का विकास सम्भव है उन्हें विश्लेषित करके शिक्षण द्वारा उनकी प्राप्ति का समुचित प्रयास किया जाय।

सामाजिक विज्ञान विषयक कतिपय प्रकरणों के संदर्भ में शिक्षण सम्बन्धी संकेत उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

I—प्रागैतिहासिक मानव जीवन के विकास-क्रम एवं स्वरूप की एकरूपता—

विकास के प्रथम चरण में विश्व के सभी भागों में मानव के समक्ष एक ही प्रकार की समस्या थी, और

वह थी प्रकृति को शक्तियों के अनुकूलन की। मानव अपनी अन्तर्दृष्टि एवं सूझ-बूझ के द्वारा शनैः-शनैः प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करके अपने जीवन को सुखद एवं निरापद बनाने में प्रयत्नशील रहा। क्योंकि उसके समक्ष भोजन जुटाने, जाड़ा, गर्मी तथा बरसात से अपनी रक्षा करने, जंगल के हिंसक पशुओं से सुरक्षित रहने आदि की समस्याओं में एकरूपता थी, इसीलिये इस दिशा में किये गये प्रयासों में भी सामान्यतया मौलिक साम्य विद्यमान हैं। निम्नलिखित बिन्दुओं के शिक्षण के माध्यम से छात्रों में मानव-जीवन के विकास क्रम एवं स्वरूप की एक रूपता का ज्ञान कराया जाना चाहिये—

जैविक विकास-क्रम में समानता - प्रागैतिहासिक मानव की अस्थियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जैविक विकास की दृष्टि से विश्व के समस्त भागों के मानव में आधारभूत साम्य है। अस्थियों की मोटाई लम्बाई तथा मजबूती में साम्य द्रष्टव्य हैं। सम्भवतः परिस्थिति की समानता के कारण ही उक्त समानता आवश्यक है।

समान आवश्यकतायें—प्रागैतिहासिक मानव की आवश्यकताएँ लगभग समान थीं। अव्यवस्था एवं असुरक्षा का वातावरण सर्वत्र एक जैसा ही था।

समान प्रयास—आवश्यकताओं एवं समस्याओं की समानता के कारण समाधान के लिये किये गये प्रयासों में एकरूपता अपरिहार्य है। इसीलिए समान प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये गये प्रयास भी आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। यदि हम इस काल के मानव द्वारा निर्मित औजारों का अध्ययन करें तो यह ज्ञात होता है कि औजारों की बनावट, गढ़न तथा उनकी प्रभावकारिता में अद्भुत साम्य है। पत्थर, हड्डी तथा वृक्ष की डालों से निर्मित ये औजार भौगोलिक सीमाओं को भी तोड़ने में सफल हुये हैं। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक मानव चाहे वह एशिया का हो अथवा अफ्रीका का, उसके द्वारा प्रयुक्त अस्त्र-शस्त्र एक जैसे हैं।

विकास-क्रम की समानता

विश्व के समस्त भागों में प्रागैतिहासिक मानव अपने विकास के प्रथम चरण में आखेटक रहा है। आखेटावस्था के पश्चात पशुपालन एवं कृषि-कर्म का क्रम भी सर्वत्र एक जैसा है। भोजन एवं सुरक्षा सम्बन्धी आसन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कला के रूप में व्यक्त उसकी भावनाओं में भी आधारभूत एकरूपता है। अफ्रीका और एशिया से प्राप्त गुहा-चित्रों (रेखा चित्र) के अध्ययन से यह तथ्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

शिक्षण-संकेत

शिक्षक को इस प्रकरण का अध्ययन कराते समय इस आधारभूत सत्य को ध्यान में रखना चाहिये कि आदि मानव के छोटे-छोटे प्रयासों पर ही आज की विकसित सभ्यता निर्मित हुई है। आज के संदर्भ में उनके प्रयासों का अध्ययन लाभदायक न होगा।

विषय-वस्तु का प्रतिपादन करते समय कार्य-कारण सम्बन्ध अवश्य स्थापित किया जाय। इससे प्रयासों के उचित मूल्यांकन की समझ का विकास होगा।

प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित औजारों की अनुकृति अथवा चित्र दिखाये जायँ। उनकी समानताओं को स्पष्ट किया जाय। कला की अभिव्यक्ति के रूप में प्राप्त गुफा चित्रों एवं प्रस्तर पर उत्कीर्ण रेखाचित्रों को दिखाया जाय।

प्रागैतिहासिक मानव के निवास-स्थलों को विश्व के मानचित्र पर दिखाया जाय तथा उन स्थानों की दूरी का बोध कराते हुए उनके कार्यों की एकरूपता को स्पष्ट किया जाय।

II– संसार के प्रमुख धर्मों के आधारभूत लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों की समानता का अध्ययन

व्यक्ति के आचरण को समाज-सम्मत बनाने के प्रयास का नाम धर्म है। वे महापुरुष जो इस दिशा में अग्रसर हुये हैं, वे निश्चय ही काल, स्थान, जाति, रंग आदि की सीमाओं से मुक्त रहे हैं। वायु और प्रकाश की भाँति उनकी स्थिति भी सबके लिये समान थी। वस्तुतः मानव अपने सुन्दरतम् रूप में सृष्टिकर्ता के समीप हो जाता है और इसीलिये उसके आचरण में कृत्रिम सीमाओं के दर्शन नहीं होते। मानव अथवा मानव-समूह द्वारा ऐसे महापुरुषों के विचारों की सार्वभौमता को भौगोलिक सीमाओं में बाँधने का प्रयास मात्र दुराग्रह है। यद्यपि काल और स्थान के सामाजिक परिवेश का प्रभाव स्वाभाविक है और यही कारण है कि धार्मिक अभिव्यक्ति के विस्तार में परस्पर भिन्नता दिखाई दे परन्तु चिंतन-तत्व में समरसता एवं एकरूपता अधिक स्पष्ट है। इसका सत्यापन संसार के प्रमुख धर्मों का निम्नलिखित बिन्दुओं के संदर्भ में अध्ययन करने से हो सकता है—

(i) संसार के प्रमुख धर्मों के अभ्युदय की पृष्ठभूमि में समानता।

(ii) मानव एवं ईश्वर के स्वरूप-चिंतन एवं सम्बन्धों के निरूपण में समानता।

(iii) सामाजिक कुरीतियों, निष्प्राण एवं निष्प्रयोजन विश्वासों तथा पारस्परिक सम्बन्धों की कटुता को समाप्त करने पर बल।

(iv) धर्म के नाम पर किये गये अत्याचारों के पीछे गिने-चुने कारणों की प्रधानता जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध अज्ञान, लोभ अथवा ईर्ष्या से है।

(v) मानव का अन्य लोगों से अपने को विशिष्ट समझने की भूल का सम्बन्ध किसी विशेष धर्म अथवा जाति और देश से नहीं है, अपितु यह उस व्यक्ति अथवा समूह की निजी अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर किये गये अत्याचार एशिया, अफ्रीका यूरोप आदि महाद्वीपों में देखे जा सकते हैं।

शिक्षण-संकेत

संसार के प्रमुख धर्मों का शिक्षण करते समय शिक्षक को चाहिये कि वह—

(i) अभ्युदय के पूर्व की परिस्थिति को स्पष्ट करें।

(ii) धर्म के प्रचारक की प्रमुख शिक्षाओं अथवा सिद्धान्तों को रेखांकित करें।

(iii) कालान्तर में उत्पन्न होने वाली विरूपताओं के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से अवगत करायें।

(iv) अन्य धर्मों में कही गई समान बातों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु चार्ट का प्रयोग किया जाय।

(v) धर्म के नाम पर किये गये अत्याचारों के पीछे छिपे हुए संकुचित दृष्टिकोण तथा स्वार्थपरता को स्पष्ट किया जाय।

III—संसार की प्रमुख क्रान्तियों के विश्वव्यापी प्रभाव का ज्ञान

वर्तमान की रूढ़िवद्धता तथा अनमनीयता समाज में घुटन पैदा करती है और समय आने पर परिवर्तन की चाह उग्र हो जाती है। यही जन-क्रान्ति बनती है क्योंकि शनैः शनैः समाज के अधिकांश वर्ग एवं समूह इसमें सक्रिय हो उठते हैं। ये जन क्रान्तियाँ भले ही किसी देश विशेष में हुई हों परन्तु प्रभाव विश्व व्यापी होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक संरचना की प्रकृति एवं स्वरूप में आधारभूत समानता होती है तथा समाज की अन्य एजेन्सियों में भी प्रायः समानता होती हैं। समस्याओं में समानता के कारण समाधान के साधनों के अनुकरण की सम्भावना अपने आप बढ़ जाती है।

इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रान्स तथा रूस की क्रान्तियों का आविर्भाव यद्यपि इन विशिष्ट देशों की विशिष्ट समस्याओं के संदर्भ में हुआ परन्तु जिन स्थापित मूल्यों के विरुद्ध जनाक्रोश की अभिव्यक्ति हुई ये विश्व के अन्य भागों मे भी विद्यमान थे। यही कारण है कि इन क्रान्तियों ने समान परिवेश वाले भागों को अपेक्षाकृत अधिक द्रुतगति से आकृष्ट किया और वहाँ भी तदनुरूप परिवर्तन हुये।

समाज के विशिष्ट वर्गों में सत्ता एवं उत्पादन के स्रोतों का केन्द्रीकरण, सुविधा सम्पन्न लोगों द्वारा सुविधा से पृथक लोगों का अविराम दोहन, धर्म के नाम पर जन आस्था का शोषण और राजदल के नाम पर मानव के साथ पशुतुल्य-व्यवहार आदि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो न्यूनाधिक सर्वत्र पाई जाती है। एशिया, यूरोप या अमेरिका आदि भागों में घटित होने वाली घटनाएँ किसी एक क्षेत्र में ही सीमित नहीं रहतीं।

इन क्रान्तियों ने समूचे विश्व की स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्श की ओर अग्रसर किया। एक के बाद एक सरकारें बदलीं, उपनिवेशवाद का प्रचण्ड सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा तथा एक व्यक्ति का शासन प्रजा के शासन में परिवर्तित हुआ।

शिक्षण-संकेत

इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रान्स, तथा रूस की क्रान्तियों के कारण एवं परिणामों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुये कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित किया जाय और साथ ही अन्य देशों में समान परिस्थितियों के कारण क्रान्ति के परिणामों की सम्प्रेष्यता को स्पष्ट किया जाय। विभिन्न देशों में तानाशाही के विरोध में प्रजातांत्रिक विचारों के प्रसार, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना का समादर यथा समाजवाद के प्रति आस्था के विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये जावें।

IV—भारतीय संस्कृति के स्वरूप-संवर्धन में विभिन्न संस्कृतियों के योगदान का अध्ययन

किसी भी देश की संस्कृति के विषय में यह कहना कि उसके निर्माण में अन्य संस्कृतियों का योगदान नहीं हैं, सर्वथा असत्य है। यह भी सत्य है कि जो देश ज्ञान को ही साक्ष्य मानता हो तथा ज्ञान के अजस्र प्रवाह के प्रति सजग और उन्मुख हो, वहाँ अन्य देशों के योगदान की सीमा एवं मात्रा में वृद्धि की सम्भावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। भारतीय संस्कृति के निर्माण में यही कारण है कि अन्य संस्कृतियों ने स्पष्ट छाप छोड़ी है और साथ ही विश्व की अन्य संस्कृतियाँ भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुई हैं।

भारत की प्राचीनतम हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि विकास के प्रथम चरण में

ही इस देश का सांस्कृतिक सम्पर्क कितने अन्य देशों से था। सुमेरिया, असीरिया, बेबीलोनिया तथा मिश्र की सभ्यताओं के अनेक सूत्र इस काल की भारतीय संस्कृति में देखे जा सकते है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान अथवा सम्मिलन की वह प्रक्रिया आक्रमण के द्वारा बलात् आरोपित नहीं हुई अपितु इसका आधार शांतिपूर्ण वाणिज्य एवं व्यापार था।

ई० पू० 8 वीं शताब्दी से लेकर ई०पू० प्रथम शताब्दी तक का समय भारतीय संस्कृति के स्वरूप संवर्धन की दृष्टि से सर्वोत्तम था। इसी काल में यूनानी, शक, हूण, कुषाण आदि विदेशी संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आईं और आदर के साथ उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके भारतीय संस्कृति के रूप में संवर्धन की प्रक्रिया समृद्ध हुई। भवन निर्माण, मूर्ति कला, औषध, ज्योतिष, साहित्य, नाटक, भाषा वेश-भूषा आदि अनेक क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों के ग्राह्य तत्वों को अपनाया।

रूप संवर्धन की यह प्रकिया एकांगी नहीं थी। विश्व की अन्य संस्कृतियाँ भी भारतीय संस्कृति की ऋणी हैं। सांस्कृतिक विकास का यह क्रम अन्योंन्याश्रित होता है।

शिक्षण-संकेत

भारतीय संस्कृति के विकास-क्रम का ज्ञान कराते समय यह तथ्य स्पष्ट किया जाय कि भारतीय आदिकाल से ही गुण और ज्ञान के प्रति आस्थावान् थे चाहे वह कहीं से भी प्राप्त हो। भारतीय संस्कृति के विकास में ग्रीक, रोमन, पर्शियन तथा मुस्लिम प्रभावों को स्पष्ट किया जाय तथा साथ ही इन संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति की देन को भी बताया जाय। विज्ञान, औषधि, नक्षत्र-विद्या, गणित, नाटक, मूर्ति कला, आदि क्षेत्रों से पास्परिक आदान-प्रदान के साक्ष्य प्रस्तुत किये जायँ।

V—प्रकरण—भारतीय मनीषियों का विज्ञान में योगदान

प्राचीन काल से ही भारत का विज्ञान के संवर्धन में विश्वव्यापी योगदान रहा है।

कैजोरी ने 'गणित का इतिहास' नामक पुस्तक में लिखा है कि हिन्दुओं ने बीजगणित सम्बन्धी आश्चर्य-जनक खोजें की। हिन्दू ही थे जिन्होंने ऋण एवं अपरिमेय संख्याओं को पहिचाना था। ग्रहण आदि ज्ञात करने के उनके सूत्र उतने ही शुद्ध हैं जितने कि आजकल की बड़ी-बड़ी वेधशालाओं के हैं"।

कैजोरी की यह मान्यता पूर्णतः सत्य है। महाराजा जयसिंह का जन्तर-मन्तर किसी अत्याधुनिक वेध-शाला से कम उपयोगी नहीं है। सूर्यग्रहण अथवा चन्द्रग्रहण सम्बन्धी भारतीय भविष्यवाणियाँ कोरे अनुमान नहीं है बल्कि एक निश्चित सिद्धान्त विशेष से प्राप्त फल होते हैं।

भारत में सदियों पूर्व आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर, श्रीधर, पद्मनाभ, भास्कराचार्य तथा मंजुला जैसे गणितज्ञ हुए हैं जिनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आज भी वर्तमान गणित में मिलते हैं परन्तु जिनका श्रेय विदेशी गणितज्ञों को दिया जाता है।

आर्यभट्ट (476-520 ई०) भारत के सबसे पहले गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य माने जाते हैं। इन्होंने सर्व-प्रथम सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के महत्व को मान्यता दी तथा विभिन्न आकाशीय पिण्डों का परिमाप जैसे-पृथ्वी तथा चाँद की परिधि, को ज्ञात किया। इन्हीं के द्वारा बीजगणित की नींव डाली गयी तथा शून्य के महत्व को भी इंगित किया गया।

विज्ञान के क्षेत्र में भारत को संसार की सबसे बड़ी देन भारतीय अंक-पद्धति और भारतीय अंक संकेत हैं। हमारी वर्तमान अंक-पद्धति में 'शून्य' को मिला कर कुल दस संकेत हैं। इन्हीं दस संकेतों से हम बड़ी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। इस अंक-पद्धति की विशेष बात यह है कि इसमें प्रत्येक संकेत के दो मान हैं, एक निजीमान और दूसरा स्थानमान। अतः इसे दशमिक स्थानमान अंक-पद्धति कहते हैं। दशमलव अंक-पद्धति का आरम्भ भी सबसे पहले भारत में हुआ था। आज सारे संसार में इस अंक-पद्धति का प्रचलन है। शून्य की धारणा इस अंक-पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। अतः प्रो० हालस्टीड ने लिखा है कि "शून्य के आविष्कार की जितनी भी स्तुति की जाय कम है। 'कुछ नहीं' वाले इस शून्य को न केवल एक स्थान, नाम, चिह्न या संकेत प्रदान करना बल्कि इसमें उपयोगी शक्ति भरना भारतीय मस्तिष्क की एक विशेषता है। गणित के किसी भी अन्य अविष्कार ने मानव को इतना अधिक बलशाली नहीं बनाया।

हिन्दी अंक-संकेतों का विकास प्राचीन ब्राह्मी अंक-संकेतों से हुआ है। लेकिन अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के साथ जिन संकेतों का प्रयोग होता है उनका विकास किस प्रकार हुआ? बहुत से लोग इन्हें आज भी अंग्रेजी अंक मानते हैं। यूरोप के लोग इन्हें 'अरबी अंक' कहते हैं। परन्तु यह दोनों ही मत गलत प्रतीत होते हैं। अनेक गणित इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया है कि यह वास्तव में भारतीय अंक है। इनका विकास भी प्राचीन भारतीय अंकों से हुआ है। यह व्यापारिक मार्गों द्वारा पहले अरब देशों में पहुँचे जहाँ इन्हें हिन्दसा कहा जाता था इसके पश्चात् इनका प्रचार व प्रसार यूरोप में हुआ। पीसा नगर के निवासी ल्योनार्डो फिबोनकी का कहना था कि सभी पद्धतियाँ हिन्दू पद्धति के सामने दोषपूर्ण थीं। इन्हीं को यूरोप के आधुनिक अंक-पद्धति को फैलाने का श्रेय दिया जाता है।

VI—भारतीय नव-जागरण में पाश्चात्य विचारधाराओं की भूमिका का ज्ञान

अधिकांश भागों में समाज का विकास आन्तरिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। उनमें प्रायः वाह्य विचारों का भी प्रभाव पड़ा है। भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य विचारों के सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप १९वीं शताब्दी में सुधार आन्दोलनों का जन्म हुआ।

१९वीं शताब्दी ने भारतीय संस्कृति तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न किया और उन्हें अनेक प्रकार से प्रभावित किया। यह नवीन दृष्टिकोण मूलतः नये विचारों के सम्पर्क में आने का परिणाम था जिसका विस्तार अंग्रेजी शिक्षा द्वारा सम्भव हुआ। पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप स्वतन्त्रता व स्वशासन के नवीन राजनैतिक विचारों का विकास हुआ। नवीन विचारों व साहित्य के उदय होने से भारतीय भाषाओं ने एक नया स्वरूप ग्रहण किया। १९वीं शताब्दी के समाज सुधार आन्दोलनों का भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

इससे भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ। प्रचलित तथा परम्परागत शिक्षा के दोष धीरे-धीरे समाप्त हुए। राजाराम मोहन राय, लार्ड मैकाले व बेंटिंग द्वारा किये गये सुधारों का प्रसार हुआ। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में व्यापक सुधार किया गया। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा का विकास किया गया।

सती प्रथा व शिशु-बलि का उन्मूलन किया गया। स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। अस्पृश्यता के विरोध में आन्दोलन किया गया। सामाजिक समानता पर बल दिया गया। सामाजिक कानून की मान्यता प्रदान की

गई । ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन, मुस्लिम सुधार आदि आन्दोलनों का विकास हुआ ।

भारतीय भाषाओं का विकास हुआ । भारतीय कला में नवीन विचारधाराओं का भी उदय हुआ । नवीन राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ ।

राजाराम मोहन राय को नवयुग का जन्मदाता और पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है । धर्म व समाज सुधार की भावना से अनुप्राणित होकर ब्रह्म समाज की स्थापना की । हिन्दू धर्म व समाजमें व्याप्त कुरीतियों और अंध विश्वासों की घोर निन्दा की । सामाजिक क्षेत्र में राजाराम मोहन राय ने अमानवीय सती प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया तथा इसे कानूनी रूप से बन्द करने के लिए सरकार से आग्रह भी किया । शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार में भी योगदान किया । अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर अधिक बल और इसी उद्देश्य से लार्ड मैकाले की शिक्षा योजना का समर्थन किया । हिन्दू धर्म में सुधार के लिए दयानन्द सरस्वती का नाम भी लिया जाता है । उन्होंने वेद तथा वैदिक संस्कृति के गौरव से भारतीयों को परिचित करा कर पाश्चात्य सभ्यता से विमुख किया तथा उनमें आत्म-विश्वास भरा । उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर हिन्दू संस्कृति का सुधार किया । स्वराज्य पर भी बल दिया । रामकिशन मिशन ने शिक्षा व समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये । इसने दीन दुःखियों व अकाल एवं बाढ़ के समय पीड़ित मानवों की प्रशंसनीय सेवा की है । थियोसोफिकल सोसायटी ने जागरण में भी बड़ा योगदान किया है । इसमें एनी बेसेंट का नाम प्रमुख है । मुसलमान सुधारकों में सर सैय्यद अहमद का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है वे शिक्षा प्रसार को राष्ट्रीय उन्नति का एकमात्र साधन समझते थे ।

उपर्युक्त के आलोक में भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव, प्राचीन सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन, धर्म सुधारकों की जीवनियाँ तथा उनकी शिक्षाएँ एवं उपलब्धियों का छात्रों को ज्ञान कराया जाना अभीष्ट है । नवजागरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव तथा भारतीय राष्ट्रीयता के क्रमिक विकास से छात्रों को अवगत कराना वांछनीय है । तथ्यों एवं घटनाओं को मानचित्र, चार्ट तथा समय रेखा द्वारा छात्रों को बोध कराया जाना श्रेयस्कर होगा ।

VII—भारत की विदेश नीति—गुट निरपेक्षता, अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध, पंचशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व

वर्तमान संसार में शान्ति स्थापित रखना अति आवश्यक है । लोगों के स्वाभाविक विकास से लिए उचित अवसर प्रदान किये जायँ जिससे प्रत्येक व्यक्ति विकास कर सके । उनकी आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप ही कार्य दिये जायँ । प्रत्येक राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वे दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें । अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों का ध्यान देना भी आवश्यक है । सबल राष्ट्र निर्बल राष्ट्र को सताने का प्रयास नहीं करेगा । कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर जबरदस्ती अधिकार नहीं करेगा और न भयानक अस्त्रों का प्रयोग ही करेगा । प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति के अवसर प्रदान किये जायँ ।

भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता तथा सह अस्तित्व के सिद्धान्तों पर आधारित है जिसका उद्देश्य केवल यही होगा कि संसार में शान्ति स्थापना बनी रहे । भारत इस उद्देश्य से बँधा हुआ है कि आणविक शक्ति का प्रयोग केवल शान्ति स्थापित करने में किये जायँ । हमें अपना अस्तित्व बनाये रखने के साथ-साथ अन्य राष्ट्रों के अस्तित्व को कायम रखने में सहयोग देना चाहिए । आज प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है और अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के सहयोग की आवश्यकता है । आज राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक

अन्य सभी दृष्टियों से विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे से इतने अधिक निकट हैं कि यदि कहीं एक जगह उथल-पुथल होती है तो उससे अन्य देश प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त स्पष्टतया घोषित कर दिये गये हैं जिसके अनुसार भारत की यह चेष्टा रहेगी कि वह विभिन्न राष्ट्रों के बीच विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से हल करवाने में सहायक होगा। सभी राष्ट्रों के बीच न्यायोचित व सम्मानपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जाने के प्रयास करेगा।

भारत की विदेश नीति पश्चिमी गुट या सोवियत गुट की शक्ति राजनीति से अलग रखकर दोनों के शान्तिपूर्ण मैत्री सम्बन्ध रखने पर आधारित है। स्व० प्रधान मंत्री पं० जवाहर नेहरू ने संविधान सभा में घोषित किया था कि भारत किसी भी गुट से सम्बन्ध नहीं रखेगा। भारत ने तटस्थता की नीति का पालन इसलिए किया कि वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में नया था तथा यदि किसी गुट में शामिल हो जाता तो उसका सम्मान कम हो जाता और इसकी स्वतन्त्रता को भी खतरा उत्पन्न हो जाता। तटस्थता से तात्पर्य नेहरू का यह था "हम उन शक्तियों व कार्यों का समर्थन करते हैं जिन्हें हम ठीक समझते हैं और उनकी निन्दा करते हैं जिन्हें अनुचित समझते हैं, चाहे वह किसी भी विचारधारा का पोषक हो।

भारत विदेश नीति में सह अस्तित्व के सिद्धान्त का समर्थक है। वह दूसरे राष्ट्रों की प्रादेशिक अखण्डता व उनकी सर्वोच्चता के प्रति सम्मान भाव रखते हुए दूसरे पर आक्रमण करने का विरोधी है। इसने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपना रखी है। यदि किसी राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन बनाने का प्रयास किया तो भारत ने इसका सदैव ही विरोध किया है।

भारत ने सदैव ही अपने पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये हैं परन्तु भारत को खतरा भी उठाना पड़ा है। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किये और भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार जमाये रहा। भारत की सेना ने भी डटकर मुकाबला किया। 1965 में पाकिस्तानियों ने भारत पर आंतक मचाये तथा भारत के कुछ भूभाग पर आधिपत्य करने की कोशिश की। भारत की वायुसेना ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया जिससे पाकिस्तानियों को मुँह की खानी पड़ी। रूस के प्रधानमंत्री के प्रयत्नों से दोनों देशों के बीच में 10 जनवरी 1966 को ताशकन्द समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर दोनों देशों ने शान्तिपूर्ण ढंग से विवादों को हल करने को सहमत हो गये। 1971 में पुनः पाकिस्तानियों ने अत्याचार करना प्रारम्भ किया परन्तु शिमला सम्मेलन में दोनों देशों के सम्बन्ध को दृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। सन् 1977 में गंगाजल के बँटवारे को लेकर भारत व बंगला देश में समझौता हो गया परन्तु 1980 में पुनः मतभेद हुआ फिर भी समस्याओं को सुलझाने में दोनों देश सचेष्ट है। मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से दूर करने का सतत प्रयास जारी है।

VIII—भारत के आर्थिक विकास में अन्य देशों का सहयोग

सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए संसार के सभी राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। एक दूसरे के विकास में परस्पर सहयोग से राष्ट्रों में मैत्री, सद्भावना एवं एकता का विकास होता हैं। वर्तमान युग परस्पर निर्भरता का युग है, कोई भी राष्ट्र अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है।

जहाँ कुछ राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों एवं कच्चे पदार्थों के उत्पादन में समृद्धिशाली हैं वहाँ कुछ राष्ट्रों के प्राकृतिक संसाधन तथा उत्पादन शक्ति सीमित है। आधुनिक युग में पूर्ण विकसित देश भी अपनी कुछ

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुएँ दूसरे राष्ट्रों से निर्यात करते हैं। इस प्रकार संसार के सभी राष्ट्र आयात तथा निर्यात के आर्थिक सम्बन्धों से एक दूसरे से जुड़े हैं।

देश के आर्थिक विकास पर विदेशी व्यापार तथा अन्य देशों द्वारा किए गए सहयोग का गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास के लिए हमें कुछ वस्तुओं का निर्यात करना आवश्यक होता है। विदेशी व्यापार में वृद्धि की दृष्टि से सरकार ने अनेक देशों से व्यापारिक समझौते किए हैं तथा कार्यालय भी खोले हैं। इनके द्वारा तकनीकी जानकारी भी प्राप्त होती हैं।

विदेशी सहायता के उदाहरण

संसार के बिभिन्न देशों ने भारत के आर्थिक विकास में निम्नलिखित रूप से सहयोग प्रदान किया है—

संयुक्त राज्य अमेरिका

* 30 सितम्बर 1980 तक संयुक्त राज्य अमेरिका से 11,677.3 मिलियन डालर (90, 499.00 मिलियन रु०) की सहायता प्राप्त हुई है।

* संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के आर्थिक विकास में निम्नलिखित रूप से सहायता प्रदान की है—

* राजस्थान में सिंचाई के साधनों के आधुनिकीकरण करने तथा मध्यम सिंचाई से विकास के लिए ऋण एवं अनुदान दिया है।

* उर्वरकों के आयात के लिए संयुक्त र ज्य अमेरिका के आयात-निर्यात ऋण बैंक (U. S. Export Emport Bank loans) ने 9.5 मिलियन डालर्स का ऋण दिया।

सोवियत संघ

* सोवियत संघ ने भारत के लगभग 75 औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं के लिए 1475 मिलियन रुबल की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इनमें भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्र, मथुरा तेल शोधनशाला, रांची का भारी मशीन निर्माण संयंत्र तथा हरिद्वार के शक्ति गृह आदि उल्लेखनीय हैं।

* 27 अप्रैल 1977 ई० के एक दीर्घकालीन आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी समझौते के अन्तर्गत सोवियत संघ ने लुग्दी कागज, सिंचाई तथा अन्य उद्योगों में सहायता देना स्वीकार किया।

ग्रेट ब्रिटेन

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र हैवीं एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल, आयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान (ऊपरी रतलाम) उर्वरक संयंत्र, सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र सिंदरी बिहार, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड मैसूर, पेपर मिल्स लिमिटेड, इंडियन कारपोरेशन पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

स्विटजरलैण्ड

* स्विटजरलैण्ड ने तकनीकी सहायता तथा आसान शर्तों मे भुगतान करने वाला ऋण संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष विभागों जैसे आदि के द्वारा प्रदान किया है।

कनाडा

* कुछ परियोजनाएँ कनाडा की सहायता से चल रही है । इनमें इण्डुक्की हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (केरल) (Indukke hydro-electric project Kerala) कुण्डाह हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तामिलनाडु (Kundah hydro-electric project) सिंथेटिक रबर प्लान्ट कोयाली (near vododra) कान्दला तथा कलकत्ता पत्तन के लिए उपकरण आदि उल्लेखनीय हैं ।

आस्ट्रेलिया

* आस्ट्रेलिया द्वारा पशु सुधार तथा विकास के लिए अच्छे नसल के पशु भारत के विभिन्न राज्यों में वितरित किए गए हैं ।

* बैकेरीज प्रोजेक्ट (Bakeries Project) के अन्तर्गत आधुनिक स्वचालित मशीनों की सहायता से देहली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, चंडीगढ़, रांची, कोचीन तथा कानपुर में माडर्न बैकेरीज कारखानों की स्थापना हुई है ।

फ्रांस

* फ्रांस ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है :—

(1) हलदिया शोधनशाला, (2) नासिक शक्ति गृह, (3) खेतरी तांबा, (4) उर्वरक कारखाना-हलदिया, (5) कालपक्कम रिएक्टर (Kalpakkam reactor) ।

* 1980 में फ्रांस ने उड़ीसा के एल्युमीनियम परियोजना को भी सहायता देना स्वीकार किया हैं ।

विदेशी व्यापार

* विकास कार्यों के लिए हम उर्वरकों, आधुनिक मशीनों, पेट्रोल तथा कच्चा माल आदि का ही आयात कर रहे हैं जिससे देश की आयु में वृद्धि होती है और देश को आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है ।

* भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा खरीददार संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद जापान ब्रिटेन तथा सोवियत संघ का नम्बर आता है । इन देशों के अतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी, इटली, फ्रांस, बंगला देश, वर्मा, पाकिस्तान, स्विटजरलैण्ड, ईरान, ईराक, मिश्र तथा इंडोनेशिया आदि देशों से भी निर्यात व्यापार होता है ।

तम्बाकू—भारत से तम्बाकू का निर्यात सोवियत संघ, मलाया, जापान आदि देशों को होता है ।

सूती कपड़ा—इसका अधिकतर निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, मलाया, लंका सोवियत संघ तथा सूडान आदि देशों को होता है ।

जूट के सामान—भारत से जूट के सामान संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा कनाडा आदि देशों को निर्यात किये जाते हैं ।

चाय—चाय का मुख्य ग्राहक ग्रेट ब्रिटेन है, सोवियत संघ, ईरान, इराक, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आदि अन्य उल्लेखनीय देश हैं।

कहवा—मुख्य ग्राहक ब्रिटेन तथा फ्रांस हैं। अन्य ग्राहक पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हालैण्ड तथा ईरान हैं।

गरम मसाले—इसके मुख्य ग्राहक संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, अरब, गणराज्य, सोवियत संघ तथा बंगला देश आदि हैं।

लोहा एवं इस्पात—इसका सबसे बड़ा ग्राहक जापान हैं। इसके अतिरिक्त अरब देशों—सुडान, सोवियत संघ तथा इराक को भी भेजा जाता है।

तिलहन—इसका निर्यात फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, इराक, कनाडा, इटली तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों को होता है।

धातु निर्मित वस्तुएँ—बिजली के पंखे, सिलाई मशीन, ताले तथा सायकिल आदि का निर्यात जाम्बिया, इराक, उगाण्डा, संयुक्त अरब गणराज्य, मारीशस, बहरीन, दुबई तथा श्री लंका आदि देशों को होता है।

मैंगनीज—इसका मुख्य ग्राहक जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम तथा पश्चिमी जर्मनी आदि हैं।

अभ्रक—भारत का अधिकांश अभ्रक ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है।

चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएँ—ये पदार्थ सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी आदि देशों को भेजे जाते हैं।

* सबसे अधिक आयात कभी सोवियत संघ से तो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका से होता हैं। इनके अतिरिक्त जापान, पश्चिमी जर्मनी, सऊदी अरब, वर्मा, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, ईरान, इराक, हालैण्ड तथा आस्ट्रेलिया से भी आयात होता है।

खनिज तेल—इसका आयात ईरान, इराक, सऊदी, अरब, कुवैत, इंडोनेशिया तथा वर्मा आदि से होता है।

इस्पात—बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे प्रकार का इस्पात संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी से आयात किया जाता हैं।

कपास—उत्तम कपास की देश में कमी है। अतः कपास का आयात मिस्र, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों से होता है।

कागज—इसका आयात कनाडा, सोवियत संघ, बंगला देश, फिनलैण्ड, नार्वे, हालैण्ड तथा स्वीडन से होता है।

मशीन—यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी जर्मनी आदि देश उल्लेखनीय हैं।

दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का उदाहरण देते हुए छात्रों को यह बोध कराया जाय

कि संसार के अन्य देशों के सहयोग के बिना हम अपनी तमाम आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर सकते हैं। उनको यह भी बताया जाय कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे देश को भी खनिज तेल दूसरे देश से आयात करना पड़ता है। विदेशी सहायता को बताने के लिए संसार के विभिन्न देशों का उदाहरण देना चाहिए तथा इस संदर्भ में छात्रों को विभिन्न परियोजनाओं को भी बताया जाय जिनमें विदेश की सहायता से आर्थिक विकास कार्य हो रहा है।

आयात तथा निर्यात को बताते समय वस्तुओं का नाम बताने के साथ-साथ उन देशों का नाम भी बताया जाय जहाँ से वे वस्तुएँ आयात तथा निर्यात होती है।

IX—विश्व—एक कुटुम्ब

अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए विद्यार्थियों को यह संकल्पना प्रदान की जानी चाहिए कि विश्व मानव समुदाय को एक परिवार समझने में ही मानव का कल्याण है। पृथ्वी मानव का घर है और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मानव समुदायों में कुछ भिन्नताएँ मिलती हैं। प्राकृतिक संसाधन इसी धरती के उत्पाद हैं तथा इन पर मानवमात्र का अधिकार है। यातायात तथा संचार व्यवस्था ने मानव समुदायों को एक दूसरे के निकट ला दिया है और आर्थिक, तकनीकी, शैक्षिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग और आदान-प्रदान से विश्व एक सूत्र में बँध रहा है।

सौर मंडल के ग्रहों में से पृथ्वी पर मानव का निवास है। पृथ्वी के महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका हैं जहाँ मानव रहता है। भौतिक बनावट तथा जलवायु की भिन्नता के कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के कद, रंगरूप, वेश-भूषा, व्यवसाय, भाषा निवास तथा भोजन की आदतों में भिन्नता मिलती है। भूमध्यरेखीय सहारा प्रदेश, टुण्ड्रा प्रदेश आदि के निवासियों में यह भिन्नता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्राकृतिक संसाधन—मिट्टी, खनिज, वनस्पति, जल, वायु, पशुपक्षी इसी पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त हैं अतः मानव का इन पर समान अधिकार है।

धरातल के विभिन्न भागों में ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से यातायात एवं संचार व्यवस्था में वृद्धि हुई है जिससे सम्पूर्ण विश्व में समाचार प्रसारण एवं आवागमन द्रुतगति से होने लगा है। इससे विश्व की दूरी संकुचित होकर पारिवारिक दूरी तक पहुँचने में सहायता दे रही हैं।

औद्योगिक एवं तकनीकी विकास और यातायात की सुविधा बढ़ने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग से विकास हुआ है। विभिन्न मानव समुदाय के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान आदि देश विश्व के अनेक अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों को अपनी तकनीकी सहायता से लाभान्वित कर रहे हैं। इससे पिछड़े हुए राष्ट्रों के उत्थान में सहायता मिल रही है। इससे एक राष्ट्र का दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। दुनिया के वासी संपूर्ण विश्व में मानव की स्थिति के प्रति जागरुक हो रहे हैं। इससे विश्व बन्धुत्व की भावना से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

इस विषय के उचित सम्प्रेषण के लिए अध्यापक को ग्लोब की सहायता से विश्व के महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और विद्यार्थियों में इस अनुभूति का विकास करना चाहिए कि यह सम्पूर्ण विश्व मानव का घर है। उन्हें यह सम्बोध प्रदान करना चाहिए कि सभी प्राकृतिक संसाधन विश्व के समस्त मानव समुदायों के कल्याण के लिए हैं।

विद्यार्थियों को कतिपय परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर भी प्रदान किया जा सकता है जैसे किसी विशिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में वे विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल किस प्रकार वहाँ के निवासियों के रहन-सहन आदि में विशिष्टता उत्पन्न हुई है, अथवा किसी विशिष्ट क्षेत्र के विषय में वे अध्ययन कर सकते हैं कि उसका व्यापार किन विभिन्न देशों से होता है और कौन से राष्ट्र उसके आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के विकास में उसे सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार के अध्ययन से उन्हें अधिक सुस्पष्ट ज्ञान प्राप्त होगा और उनमें विषय के प्रति रुचि भी अधिक होगी।

X—राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो पूर्णरूप से स्वावलम्बी हो। प्रत्येक देश कुछ न कुछ सीमा तक दूसरे देशों पर आश्रित हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युग में संसार की दूरी संकुचित हो गई है। सभी वस्तुएँ, स्थान तथा मनुष्य एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। यदि विषुवत रेखीय जलवायु वाले प्रदेश रबर पैदा करके दूसरे देशों की आवश्यकता पूरी करते हैं तो ब्राजील और भारत कहवा तथा चाय की आवश्यकता पूरी करते हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि कारखानों में काम आने वाली छोटी तथा बड़ी मशीने भेजते हैं तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश उनको कच्चा पदार्थ भेजते हैं। इस महत्वपूर्ण अन्योन्याश्रय सम्बन्ध को प्रोत्साहन मिलने से विश्व में सद्भावना जागृत हो सकेगी। अन्योन्याश्रितता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :—

(1) विश्व के सभी भागों में जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण समान नहीं है जबकि विश्व के सभी मनुष्यों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना हमारा उद्देश्य है। संसार की कुल जनसंख्या तीन अरब से अधिक है। कुछ भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है जैसे चीन, भारत उप महाद्वीप, जापान, ओशीनिया तथा पश्चिमोत्तर एवं दक्षिणी योरप के देश और संसार के कुछ समुद्र तटीय क्षेत्र। कुछ भागों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है जैसे साइबेरिया, उत्तरी कनाडा, उत्तरी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी असमान है। संसार के कुछ भाग खनिज सम्पदा, प्राकृतिक वनस्पति, जल संसाधन तथा अन्य भौगोलिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं जबकि कुछ भाग इन सुविधाओं से शून्य हैं। विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रायः पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(2) विश्व के कुछ राष्ट्र आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से बहुत आगे हैं। सं० रा० अमेरिका, जापान, यू०के०, फ्रांस, सोवियत संघ, जर्मनी, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड आदि देश तकनीकी एवं औद्योगिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं तथा विकसित हैं जबकि अविकसित तथा विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद तकनीकी एवं पूँजी की कमी के कारण संसाधनों का लाभ नहीं लिया जा सका है।

(3) मानव चाहे विश्व के जिस भी परिस्थिति में रह रहा हो सभी की आवश्यकताएँ समान हैं अर्थात् भोजन, मकान तथा सामाजिक प्रतिष्ठा हर एक के लिए वांछनीय हैं। आवश्यकताएँ समान होते हुए भी भौगोलिक

तथा आर्थिक सुविधाएँ असमान है। समता लाने हेतु वस्तुओं का आदान-प्रदान आवश्यक हो जाता है ताकि आव-श्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा सन्तुलन स्थापित हो सके। इस प्रकार एक राष्ट्र को दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है।

राष्ट्रों की अन्योन्याश्रितता से विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे के निकट आते हैं। इससे मैत्री-वृद्धि होती हैं, आत्मीयता बढ़ती हैं तथा मानवता की वृहद भावना विकसित होती हैं।

अन्योन्याश्रितता को प्रोत्साहन देने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यातायात के साधन, संचार सुविधाएँ, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं---

(1) पश्चिमी योरप (2) दक्षिण अफ्रीका (3) कनाडा (4) सं० रा० अमेरिका (5) जापान (6) आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैन्ड (7) अफ्रीका (8) लैटिन अमेरिका (9) मध्य पूर्व एशिया (10) चीन (11) अन्य एशिया के देश (12) पूर्वी योरप तथा सोवियत संघ।

विकसित देश प्रायः निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं तथा अविकसित एवं विकासशील देशों से कच्चे पदार्थ का आयात करते हैं।

प्रमुख निर्यातक देश

(अ) औद्योगिक वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक क्षेत्र

(1) पश्चिमी योरप (2) सं० रा० अमेरिका (3) पूर्वी योरप और सोवियत संघ (4) जापान।

ये देश मशीनें, परिवहन के सामान, तथा अन्य इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों को निर्यात करते हैं।

(ब) खाद्यानों का निर्यात अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा खनिज तेल का निर्यात मध्य पूर्व एशिया, लीबिया तथा नाइजीरिया करते हैं।

आयातक-क्षेत्र

(1) (अ) पश्चिम योरप (2) पूर्वी योरप (3) सोवियत संघ (4) जापान

ये क्षेत्र कच्चे पदार्थ, पेट्रोलियम तथा खाद्य पदार्थों का आयात विकासशील देशों से करते हैं।

(ब) अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण अमेरिका के देश भारी मशीनें, परिवहन की वस्तुएँ, उर्वरक, 'इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुएँ' वस्त्र आदि का आयात विकसित देशों से करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आवागमन यातायात के साधनों पर निर्भर है। ये मार्ग कई देशों से होकर गुजरते हैं तथा इनकी सेवायें अनेक राष्ट्रों को उपलब्ध होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जल मार्ग तथा स्थल मार्गों का विशेष महत्व है। ये मार्ग उत्तरी अमेरिका, योरप, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीपों

को जोड़ते हैं। व्यापारिक मार्गों के सीधे संपर्क में आने वाले नगरों जैसे—न्यूयार्क, लन्दन, मार्सिलीज, सैनफ्रांसिसको, टोकियो, संघाई, हांगकांग, बैंकाक एवं मेलबोर्न, होनोलूलू, बम्बई, काहिरा, डर्बन, केप टाउन ब्यूनिसआयर्स, विलिंग्टन आदि नगरों में विश्व के लगभग सभी प्रगतिशील देशों के निवासी दिखाई देते हैं। इससे विश्व सौहार्द्र की भावना विकसित होती है।

कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर होता है जैसे—खनिज तेल, रबर, चाय आदि। तेल उत्पादक एवं निर्यातक देश जैसे—मध्य पूर्व एशिया के देश, लीबिया, नाइजीरिया आदि विश्व के अनेक देशों को तेल का निर्यात कर रहे हैं। इससे विश्व से अनेक राष्ट्रों की दृष्टि इन देशों की ओर लगी हुई है। विकसित देश अनेक प्रकार से इन राष्ट्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। खाद्यान्न, मशीनरी तथा अनेक तकनीकी सहायताएँ सं० रा० अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत रूस, जापान तथा आस्ट्रेलिया से प्राप्त की जा रही है। तेल की बढ़ती हुई मांग से इसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके माध्यम से संसार के बहुत से राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक पहुँच रहे हैं तथा विशेष अनुबन्ध एवं राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर स्थायी संधि बढ़ रही है। इससे अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है।

शिक्षण के समय विषय अध्यापकों को चाहिए कि वे संसार के प्रमुख आयातक एवं निर्यातक देशों की सूची प्रस्तुत करें। छात्रों को इस बात की अनुभूति करायें कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से विश्व की आर्थिक स्थिति एवं लोगों के सामान्य जीवन में सुधार हो रहा है। विश्व के मानचित्र के माध्यम से संसार के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का स्पष्टीकरण करते हुए सम्बन्धित देशों तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों एवं बन्दरगाहों का महत्व बताएँ। यह भी स्पष्ट करें कि वे किस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा दे रहे हैं।

अध्याय 7

भाषा शिक्षण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा

विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात की सुविधाओं ने समय तथा दूरी की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर विश्व के दूरतम स्थित देशों को पड़ोसी देशों सा बनाकर विश्वराष्ट्र की संकल्पना के साकारीकरण की ओर मानवमात्र को अधिक गतिशील रूप में अग्रसर कर दिया है जिससे सारा विश्व एक कुटुम्ब में परिणत हो जावेगा। इस मंजिल का पहला पड़ाव अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना है। अर्थात समस्त विश्व के राष्ट्रवासियों में सारे अन्तर चाहे वह जाति, धर्म, वर्ग अथवा किसी प्रकार के हों समाप्त होकर केवल मानवता का संबंध स्थापित होगा जिसकी आधारशिला पारस्परिक सहानुभूति एवं सद्भावना है।

स्पष्ट है कि मौन संवेदना का अनुभव सामान्य प्राणी द्वारा संभव नहीं है? उसे तो क्रियात्मक सहानुभूति के दर्शन होने चाहिए तथा हम एक दूसरे के प्रति जो भी विचार रखते हैं अथवा कार्य करना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा भाषा के माध्यम से स्पष्ट होती है। सत्य स्वप्न के रूप में ही मानव मन में अवतरित होता है। स्वप्न ही सत्य का पहला चरण है तथा सत्य का वास्तविक स्वरूप प्राप्त करने का साधन भाषा ही है। अतः अपनी भाषा के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है ताकि हमारा सम्पर्क विभिन्न देशवासियों से स्वतन्त्रतापूर्वक हो सके तथा हम अपनी आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं का ज्ञान अन्य देश-वासियों को करा सकें। अन्य देशवासियों की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं का-ज्ञान स्वयं कर सकें। उनके रीति-रिवाजों तथा उनके द्वारा प्रगति की दिशा में अर्जित उपलब्धि से भी लाभान्वित हो सकें।

इस दृष्टि से जब हम अपने यहाँ पढ़ाई जाने वाली हिन्दी की हाईस्कूल की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करते हैं तो हमें उनमें पर्याप्त सामग्री ऐसे मिलती है जो सीधे या सांकेतिक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की दिशा में इंगित करती प्रतीत होती है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति कक्षा 6, 7, 8 की हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों के अधिकांश पाठों की भी है। दोनों ही स्तरों की पाठ्य पुस्तिकाओं के ऐसे पाठों का विवरण निम्नवत् है—

गद्य संकलन	पाठ का नाम	
हाई स्कूल कक्षाओं हेतु	विश्व मंदिर—लेखक : वियोगी हरि	इस पाठ में लेखक ने विश्व को एक मंदिर के रूप में परिणत करने का स्वप्न देखा है जिसमें विश्व बन्धुत्व, पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना तथा व्यापक मानव कल्याण की भावना वालों का आह्वान किया गया है।
	ममता—लेखक : जयशंकर प्रसाद	कहानी में एक ब्राह्मण विधवा द्वारा मुगल सम्राट हुमायूँ को कठिनाई के समय अपना शत्रु जानते हुए भी आश्रय प्रदान करने की घटना का वर्णन कर मानव कल्याण तथा पारस्परिक सद्भावना एवं व्यापक मानव सहानुभूति की अभिव्यक्ति की गई है।

	गिल्लू—लेखिका : महादेवी वर्मा	एक गिलहरी के बच्चे की कौओं की चोट से बचाकर उसका पालन करने संबन्धी विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कर लेखिका ने मानव ही नहीं वरन् जीव मात्र से सहयोग' तथा सद्भावना की बात व्यक्त की है।

काव्य संकलन

हाई स्कूल कक्षाओं हेतु	यह धरती कितना देती है—रचयिता : सुमित्रानन्दन पन्त	पृथ्वी को रेल प्रसविनी जानकर उसमें समता, क्षमता, ममता तथा श्रम को फसल को मानव कल्याण के लिए उगाने की बात कही गई है।
	भगवान के डाकिये—रचयिता : रामधारी सिंह दिनकर	प्रकृति का कार्य व्यापार वर्णित कर मानव मात्र के कल्याण का निष्कर्ष कबि द्वारा निकाला गया है। उदाहरण के लिए एक गैर ईसाई देश की धरती दूसरे ईसाई देश की सुगंध भेजती है अथवा एक देश की भाप दूसरे देशों में पानी बनकर गिरती है।
	जय-जय निर्भय है—रचयिता : सोहन लाल द्विवेदी	दीन के अश्रु जिसे प्रभावित करते हैं मोहताजों के साथ रहने में जिसे शर्म नहीं आती तथा कोई देश अथवा वेश हो उसमें वे मानवता के संस्थापन का कार्य करते रहते हैं और इसे ही अपना धर्म मानते हैं, उन्हें प्रणाम। कवि ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का महामंत्र गुंजरित किया है। ऐसा शंखनाद जिसको सुनकर सोई हुई आत्माएँ जाग जाये और मानव-मानव की एकता की भावधारा प्रत्येक हृदय से फूट निकले।

कक्षा	पुस्तक का नाम	वर्तमान विषय सामग्री
6	नवभारती भाग—1	पाठ—1 प्रार्थना
		पाठ—3 महाकवि कालिदास
		पाठ—6 सद्व्यवहार
		पाठ—14 राखी की मर्यादा
		पाठ—15 पशुओं की सभा
		पाठ—18 उठो धरा के अमर सपूतों
		पाठ—22 अब्राहम लिंकन
		पाठ—29 बालचर की डायरी
7	नवभारती भाग—2	पाठ—1 प्रार्थना
		पाठ—5 कर्मवीर
		पाठ—9 बीज
		पाठ—13 ईसामसीह
		पाठ—15 इतने ऊँचे उठो

		पाठ – 16 रेड क्रास
		पाठ – 20 सिनेमा
		पाठ – 28 वन
		पाठ – 30 अनन्त आकाश
8	नवभारती – 3	पाठ – 1 असतो माँ सद्गमय
		पाठ – 3 प्रेम अहिंसा और बन्धुत्व
		पाठ – 4 नर हो न निराश करो मन को
		पाठ – 7 चल पड़े जिधर दो डग
		पाठ – 10 दीनबन्धु एण्ड्रूज
		पाठ – 13 पृथ्वी
		पाठ – 16 इब्राहीम गार्दी
		पाठ – 18 जलाओ दिये

विश्व साहित्य को समृद्ध करने वाले साहित्यकारों का परिचय

वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप प्रगतिशील देशों द्वारा स्थापित साम्राज्य के अंतर्गत आये देशों में साम्राज्य वादी देशों की भाषा तथा साहित्य का अध्ययन एवं अनुशीलन प्रारम्भ हुआ। इन देशों के मानव कल्याणकारी भावनाओं से युक्त साहित्य के अनुशीलन के कारण पराधीन देशों में भी स्वाधीन होने के विचार जागे तथा संघर्ष की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

भारत में आदिकाल से ही वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का प्रादुर्भाव हुआ था—

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेसन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माकश्चित दुख भाग भवेत ॥"

की ध्वनि से सारा देश गूँजता था। आधुनिक भारतीय भावभूमि में भी मानव-मानव की समानता तथा विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मनुष्यों की कल्याण भावना से युक्त साहित्य का भी सृजन हुआ। अतः निम्नवत भारतीय साहित्य तथा साहित्यकारों का देश में पठन एवं अनुशीलन तथा विदेशों में प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की दृष्टि से आवश्यक हैं।

(1) वैदिक साहित्य

(2) आधुनिक भारतीय भाषाओं के ऐसे साहित्यकारों की रचनाएँ जिनमें कल्याकारी भावनाएँ निहित हैं। जैसे हिन्दी में (1) मैथिली शरण गुप्त, (2) प्रेमचन्द, (3) जयशंकर प्रसाद, (4) रामधारी सिंह दिनकर।

विदेशी साहित्यकार

अंग्रेजी—(1) सेक्सपियर—देश काल की सीमा का अतिक्रमण कर मानव मूल्यों की स्थापना करने वाला कवि तथा नाटककार।

(2) बर्नाड-सा—राष्ट्रीयता की भित्ति पर अंतर्राष्ट्रीयताा का प्रसाद खड़ा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाटककार।

(3) ईलियट—अन्य जातियों तथा धर्मों की आकांक्षाओं तथा अनुभूतियों पर लिखित रचनाओं का कृतिकार।

(4) रवीन्द्रनाथ ठाकुर—भारतीय साहित्यकारों में एक मात्र विदेशों में चर्चित नोबेल पुरस्कार विजेता, जिसकी कृतियाँ भारतीय दर्शन तथा विचारधारा पर आधारित हैं।

अन्य विदेशी भाषाओं में रूस के टालस्टाय, गोर्की तथा दास्तावायस्की, फ्रान्स के अनातोले आदि का साहित्य भी वाच्य है।

निबन्ध लेखन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना सम्बन्धी विषय

(1) गुट निरपेक्षता एवं मानव कल्याण
(2) पंचशील
(3) राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता
(4) गांधीवाद तथा विश्व कल्याण
(5) विश्व राष्ट्र
(6) तृतीय विश्व एवं मानव कल्याण
(7) मानव कल्याण में विकसित देशों की भूमिका
(8) विज्ञान एवं विश्व कल्याण
(9) धर्म निरपेक्षता एवं मानव कल्याण
(10) मानव धर्म
(11) विश्व कल्याण में राजनेताओं की भूमिका एवं कर्त्तव्य
(12) भौगोलिक ज्ञान एवं मानव कल्याण
(13) समाजवादिता एवं मानव कल्याण
(14) सर्वोदय
(15) भारतीय दर्शन एवं मानव कल्याण
(16) वसुधैव कुटुम्बकम्
(17) मानव कल्याण में साहित्य का योगदान
(18) निरस्त्रीकरण
(19) विश्व कल्याण में महिलाओं की भूमिका
(20) रेडक्रास
(21) स्काउटिंग
(22) नोबुल शांति पुरस्कार विजेता
(23) विश्व शान्ति में भारत की भूमिका
(24) विश्व कल्याण एवं अन्य ग्रह
(25) खेल खिलाड़ी एवं विश्व बन्धुत्व
(26) अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में चलचित्रों का योगदान
(27) सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना

अध्याय 8

विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना

प्रकरण—विज्ञान की प्रगति से एक समन्वित विश्व संस्कृति का विकास एवं विश्व कल्याण

प्रमुख संकल्पना—विज्ञान के प्रसार से विश्व के विभिन्न देश परस्पर निकट आते जा रहे हैं।

विषय वस्तु—वर्तमान युग विज्ञान का युग कहलाता है। विज्ञान की प्रगति से पर्यावरण में नित्यप्रति नए परिवर्तन हो रहे हैं। और इन परिवर्तनों के कारण मानव समाज की परम्पराओं, रीति-रिवाजों तथा सभ्यता में भी परिवर्तन हो रहे हैं।

मोटर, रेल, वायुयान, जलयान जैसे परिवहन साधनों तथा टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीविजन, कृत्रिम उपग्रह जैसे—संचार आविष्कारों ने पृथ्वी पटल की दूरियाँ समेट कर रख दी है। इनके फलस्वरूप दूसरे देशों के समाचार प्रतिपल मिलते रहते हैं, या बैठे-बैठे दूसरे देशों के व्यक्तियों से बातचीत कर सकते हैं और विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ ही घण्टों में पहुँचकर व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इससे विभिन्न देश परस्पर समीप आते जा रहे हैं, तथा अन्तर द्वीपीय असमताएँ मिट रही हैं और संभव है कि निकट भविष्य में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की कहावत चरितार्थ हो जाय।

इस वैज्ञानिक युग में मानव में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का निर्माण हुआ है जिसके फलस्वरूप वह सदा जिज्ञासु रहता है और पृथ्वी, तारे, चट्टानें, नदी, समुद्र, परमाणु, अणु, प्राणी, वनस्पति आदि सभी के सम्बन्ध में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हैं। वह विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेता है। सूक्ष्म निरीक्षण तथा चिन्तन करने के कारण अन्धविश्वासों से उसका विश्वास उठता जा रहा हैं। साथ ही साथ मानव में आत्म विश्वास, आत्म निर्णय, सत्य, दया, प्रेम, निष्पक्षता आदि गुणों का प्रादुर्भाव हो रहा हैं।

वैज्ञानिक जो भी आविष्कार करते हैं वह किसी देश या जाति के लिए नहीं होते वरन् परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए होते हैं। वर्तमान काल में सभी देशों के वैज्ञानिक निम्नलिखित विश्व-व्यापी समम्स्याओं को सुलझाने में कार्यरत हैं—

1—ऊर्जा के नए श्रोत
2—विकिरण तथा अन्य प्रकार के प्रदूषणों की रोक थाम।
3—बढ़ती हुई मानव जनसंख्या पर नियन्त्रण।
4—उन्नत किस्म के पशुओं तथा फसलों का उत्पादन।
5—अकाल व कुपोषण की रोक थाम।
6—कैंसर तथा अन्य असाध्य मानव रोगों की चिकित्सा।
7—पशु तथा फसलों के रोगों पर विजय।
8—अच्छे व सस्ते औद्योगिक पदार्थों का अधिकतम उत्पादन।

इन सब समस्याओं के निराकरण से देशों की गरीबी दूर होगी और सम्पन्नता बढ़ेगी। साथ ही साथ इससे सम्पूर्ण विश्व में मानव का जीवन स्तर बढ़ेगा। विश्वव्यापी सम्पन्नता से विभिन्न देशों में निकट सम्पर्क स्थापित होंगे।

शिक्षण-संकेत

1—विभिन्न क्षेत्रों में मानव कल्याण के लिए विज्ञान के योगदान के पर्याप्त उदाहरण दिए जायँ।

2—आविष्कारकों की यथा स्थान चर्चा करते हुए उनके सार्वभौम योगदान का महत्व स्पष्ट करना चाहिए।

3—छात्रों से महत्वपूर्ण आविष्कारकों की सूची, चित्र आदि संकलित कराए जायें और उन्हें यह समझने में सहायता दी जाय कि विज्ञान की प्रगति में विभिन्न देशवासियों का योगदान है।

प्रकरण—मानव उद्‌विकास के अध्ययन द्वारा मानव मात्र के प्रति बन्धुत्व

प्रमुख संकल्पना—विश्व की सभी मानव जातियाँ एक ही पूर्वजों से विकसित हुई हैं।

विषय वस्तु—वर्तमान काल में विश्व के सभी देशों में मनुष्य की एक जाति पायी जाती है जिसे होमोसेपियन्स कहते हैं। इसके निकट पूर्वज क्रोमेगनन् जाति के मानव माने जाते हैं जिनका विकास कापि जैसे पूर्वजों से हुआ है। मानव अनुवंशिकी से भी ज्ञात होता है कि विश्व के सभी मनुष्यों में गुण सूत्रों की संख्या समान होती है। अर्थात् सभी में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं चाहे वे यूरोप के गोरे रंग के मनुष्य हों और चाहे अफ्रीका के काले रंग के मनुष्य। अतः सभी की समान रचना तथा गुण होते हैं। काले गोरे का जो भेद दिखायी देता है वह केवल परिस्थितियों के अनुकूलन के कारण है। अतः उन्हें भौगोलिक प्रजातियाँ कहा जाता है। अधिकांश एन्थ्रोपालाजिस्ट होमोसेपियन्स की पांच प्रजातियों में विभेदन करते हैं जिन्हें **1. Australoid 2. Mangoloid 3. Caucasoid 4. Negroid** तथा **5. Capioids** कहते हैं।

मनुष्य बड़ा तेजस्वी तथा स्थान परिवर्तन करने वाला रहा है। वर्तमान काल में सांस्कृतिक तथा सामाजिक बाधाओं के कारण विभिन्न प्रजातियों में जननिक संबंध नहीं हो पाते। लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आयेगा जब प्रजातियों का यह भेद अवश्य समाप्त हो जायेगा।

शिक्षण-संकेत

'विकास की दृष्टि से विश्व के सभी मनुष्यों के पूर्वज समान हैं' पर बल देते हुए विश्व बन्धुत्व की प्रेरणा दी जाय।

प्रकरण— परमाणु ऊर्जा और विश्व कल्याण

मुख्य संकल्पना— परमाणु ऊर्जा विश्व शान्ति में सहायक है।

विषय-वस्तु— विज्ञान के विकास ने जहाँ मनुष्य के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया वहीं स्वार्थी राजनीति ने विज्ञान को इस तरह मरोड़ा भी है कि स्वयं मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। हिरोशिमा तथा नागा-

साकी पर गिराए गये परमाणु बम से हुए दर्दनाक विनाश के बाद सभी इनके परिणामों से अवगत हो चुके हैं। अतः जिन देशों के पास परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि हैं वे भी इनका प्रयोग करते डरते हैं क्योंकि इनके प्रयोग से किसी देश विशेष का विनाश नहीं वरन् संपूर्ण मानव जाति या मानव सभ्यता का विनाश होगा। इसीलिए अब कहा जाता है कि तीसरे महायुद्ध की संभावना अब नहीं रही है। केवल कुछ छुटपुट युद्ध ही हो सकते हैं और वे भी परम्परागत अस्त्रों से जैसे ईराक-ईरान युद्ध, इसरायल का अरब देशों से युद्ध आदि।

भारत सहित अनेक देश परमाणु अस्त्रों के स्थान पर परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोगों पर अधिक बल दे रहे हैं। परमाणु अविद्युत ग्रहों में उत्पादित विद्युत ताप विद्युत ग्रहों से सस्ती पड़ रही हैं। इससे उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा का उपयोग तेल और गैस की खोज, तांबा निकालने, बन्दरगाह तथा विशाल नहरें बनाने में भी किया जा सकता है। रेडियो-समस्थानिकों का उपयोग चिकित्सा तथा कृषि क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक अब भी विकिरण के लाभप्रद उपयोग खोजने में लगे हैं और विश्वास करते हैं कि भविष्य में बर्फीले तथा रेतीले रेगिस्तानों को हरे वनस्पतियुक्त मैदानों में परिवर्तित किया जा सकेगा। इसके लिए विभिन्न देश परस्पर सहयोग कर रहे हैं।

शिक्षण-संकेत

1. मानव कल्याण में परमाणु ऊर्जा के योगदान के अनेक उदाहरण दिये जायें।

2. नागासाकी तथा हिरोशिमा में मानव विनाश की चर्चा करते हुए परमाणु अस्त्रों की विनाशकारी क्रियाओं के प्रति विपरीत धारणा का विकास किया जाय।

अध्याय 9

सहायक शिक्षण-सामग्री

अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा को जीवन्त बनाने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग करना अपेक्षित है; सहायक सामग्री के संकलन अथवा निर्माण में अध्यापकों एवं छात्रों का पारस्परिक सहयोग आवश्यक होगा। सहायक सामग्री के रूप में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जा सकता है—

1—विभिन्न देशों के निवासियों की वेशभूषा, रहन-सहन, सांस्कृतिक परम्पराओं सम्बन्धी चित्र—

इस प्रकार के चित्र पत्र-पत्रिकाओं से संकलित किये जा सकते हैं और छात्रों द्वारा स्वयं भी बनाये जा सकते हैं।

2—फोटो एल्बम—

विभिन्न संस्थाओं, राजकीय प्रतिष्ठानों, संयुक्त राष्ट्रसंघ के अभिकरणों आदि के द्वारा, प्रकाशित फोटो एल्बम द्वारा विभिन्न देशों की कला, संस्कृति आदि का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

3—आर्थिक सहयोग के लेखाचित्र—

विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, इयर बुक आदि से आँकड़े संकलित करके लेखा चित्रों द्वारा बनाये जा सकते हैं जिन्हें कक्षा में स्थायी रूप से लगाया जा सकता है।

4—विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रकाशित पोस्टर।

5—आधुनिक श्रव्य-दृश्य उपकरण।

जिन विद्यालयों में सुविधा उपलब्ध है वहाँ फिल्मों का प्रदर्शन किया जा सकता है। फिल्में फिल्म लाइब्रेरी से प्राप्त हो सकेंगी। रेडियो प्रसारणों का लाभ लगभग सभी विद्यालय प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ संभव हो वहाँ टेलिविजन प्रसारणों का लाभ भी छात्रों को उपलब्ध हो सकता है।

अध्याय 10

सहपाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप

पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों के शिक्षण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए बहुत सी शिक्षा प्रदान की जा सकती है परन्तु उसके विस्तार और उसे बल प्रदान करने के लिए सहपाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों का अत्यधिक महत्व है। सहपाठ्यक्रमीय क्रियाओं का एक लाभ यह है कि इसमें छात्र अधिक उत्साह से भाग लेते हैं क्योंकि इसमें भाग लेने का निर्णय वे स्वेच्छा और अपनी रुचि से लेते हैं तथा परीक्षा के बन्धन से मुक्त रहते हैं। स्वभावत: ऐसे कार्यों में उनमें आन्तरिक अभिप्रेरणा प्रबल रहती है।

अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए व्यापक रूप से विविध सहपाठ्यक्रमीय कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है।

प्रतियोगितायें—विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निबन्ध, वाद-विवाद अथवा सामान्य ज्ञान प्रतियोगितायें आयोजित की जा सकती हैं। निबन्ध अथवा वाद-विवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र और उसके कार्यों, विश्व की विविध समस्याओं जैसे खाद्य समस्या, निरक्षरता, रंगभेद की नीति, निःशस्त्रीकरण का प्रश्न, स्त्रियों की स्थिति आदि से संबंधित विषय चुने जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विषय में अथवा किसी अन्य देश के विषय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता या परीक्षा आयोजित की जा सकती है। प्रतियोगिताओं का स्वरूप अंतर्विद्यालय भी हो सकता है।

व्याख्यान—विश्वविद्यालयों अथवा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत विद्वानों की विविध विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर द्वारा विचार विनिमय का भी अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार की वार्ता के लिए यदि कोई विदेशी अतिथि उपलब्ध हो तो उस देश विशेष की जानकारी भली प्रकार प्राप्त हो सकती हैं।

विचार गोष्ठियाँ—अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी विषय जैसे विश्व शान्ति के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति, विकासशील देशों की समस्यायें, जनसंख्या समस्या या पर्यावरण प्रदूषण आदि पर विद्यालयों अथवा अंतरविद्यालय स्तर पर विचारगोष्ठी आयोजित की जा सकती हैं। इस विचारगोष्ठी की एक आख्या भी तैयार की जानी चाहिए।

एकांकी तथा नाटक—एकांकी अथवा नाटकों द्वारा अन्य देशों के जीवन अथवा संस्कृति का प्रदर्शन किया जा सकता है। यदि इस प्रकार के नाटक मूलरूप से लिखे हुए उपलब्ध न हों तो विद्यार्थी अपने अध्यापकों की सहायता से स्वयं ऐसे एकांकी अथवा लघु नाटक लिख सकते हैं।

नृत्य संगीत—एकांकी नाटकों के समान अन्य देशों के लोकनृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। यदि कोई विदेशी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ हो तो इस प्रकार के कार्यक्रम में उसका सहयोग लिया जा सकता है।

National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No....4862.......
Date.....12/9/89.....

कठपुतली-प्रदर्शन—कठपुतली द्वारा किसी देश की ऐतिहासिक घटनाओं, जीवन-शैली, संस्कृति आदि का प्रदर्शन रोचक और प्रभावपूर्ण ढंग से हो सकता हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है इसलिए इसमें कठिनाई हो सकती है।

झाँकियाँ—झाँकिया सजाकर विभिन्न देशों के निवासियों की वेशभूषा, रहन-सहन, उद्योग, सांस्कृतिक पर्व आदि का मूर्तरूप में प्रदर्शन किया जा सकता है। इससे उन देशों के विषय में जानकारी द्वारा सद्-भावना में वृद्धि होगी।

फिल्म प्रदर्शन—जिन विद्यालयों में फिल्म प्रोजेक्टर की सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ अन्य देशवासियों के जीवन, संयुक्त राष्ट्र और उसके कार्यकलापों आदि पर फिल्मों का प्रदर्शन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रसार विभाग, इलाहाबाद की फिल्म लाइब्रेरी से इस प्रकार की फिल्में उपलब्ध हो सकती हैं।

प्रदर्शिनी—विद्यार्थियों द्वारा किसी परियोजना—जैसे किसी देश का विस्तृत अध्ययन अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी विशिष्ट अभिकरण के कार्यों का अध्ययव आदि के फलस्वरूप जो सामग्री—चित्र, चार्ट, माडल, फोटोग्राफ, लेख आदि तैयार किये जाते हैं उनकी प्रदर्शिनी लगाई जा सकती है। इससे व्यापक रूप से विद्यार्थी तथा समाज के अन्य लोग लाभान्वित होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय पर्व—संयुक्त राष्ट्र दिवस (24 अक्टूबर) तथा मानव अधिकार दिवस (10 दिसम्बर) व्यापक रूप से विद्यालयों में मनाये जाते हैं और प्राय: इसके लिए उच्चाधिकारियों का कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। ऐसे अवसरों पर विविध प्रकार के कार्यक्रम संचालित हो सकते हैं, यथा विशेषज्ञों के व्याख्यान, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, प्रदर्शिनी, फिल्म प्रदर्शन, एकांकी आदि। इसी प्रकार अन्य देशों के स्वतन्त्रता दिवस मनाने का भी कार्यक्रम अपनाया जा सकता है तथा विश्व की महान विभूतियों की जयन्तियाँ भी आयोजित की जा सकती हैं।

संयुक्त राष्ट्रसभा की अनुकृति—संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न देशों की समस्याओं और दृष्टिकोणों को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्रसभा की अनुकृति का आयोजन अत्यन्त उपयोगी है। यह कार्यक्रम विद्यालय के अंतर्गत ही सीमित हो सकता है अथवा अनेक विद्यालयों का सहयोग हो सकता हैं कई महीने पूर्व इसकी रूपरेखा निर्धारित की जाती है। सभा के लिए विचारार्थ विषय का निर्धारण किया जाता है, जो किसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्या से संबंधित होता है। विभिन्न कक्षाओं अथवा विद्यालयों को विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य सौंपा जाता है। ये कक्षायें या विद्यालय सभा में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि निश्चित करते हैं और सामूहिक रूप से उस समस्या के विषय में अध्ययन कार्य प्रारम्भ हो जाता है। इससे संबंधित देश की समस्याओं और उसकी नीतियों का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तविक सभा की कार्य प्रणाली संयुक्त राष्ट्रसभा की कार्य पद्धति के अनुरूप संचालित की जाती है और उसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं।

क्लबों द्वारा क्रियाकलाप—अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए विभिन्न क्लब कार्य करते हैं।

विद्यालयों में इसके लिये यूनेस्को क्लबों की स्थापना हो सकती है। इन क्लबों के कार्यक्रम के माध्यम से अन्य देशों के विषय में ज्ञान संवर्द्धन, विश्व समस्याओं के विषय में ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से मानव कल्याण में सहयोग आदि के विषय में व्यापक जानकारी के अतिरिक्त इनके द्वारा विकास कार्यों, सामाजिक सेवा आदि की परियोजनायें भी चलाई जा सकती हैं।

सहायता कोष संचित करना—विद्यार्थियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजन से—जैसे यूनिसेफ के सहायतार्थ अथवा किसी देश में प्राकृतिक विपदा—जैसे भूकम्प से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए धन संचय किया जा सकता है। इसके लिए 'चैरिटी शो' आयोजित करके अथवा घर-घर जाकर धन संचय कर सकते हैं।

विद्यालय पत्रिका एवं समाचार दर्शन—प्रायः विद्यालयों द्वारा अपनी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग सम्बन्धी लेख सम्मिलित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय के समाचार पटल पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार प्रदर्शित किये जाने चाहिए और समाचार पत्रों से अंश काटकर उनका संग्रह तैयार किया जाना चाहिए।

पाठ्येतर अध्ययन—अंतर्राष्ट्रीयता के विकास के लिए विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य पाठ्य-पुस्तकों तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। उन्हें पुस्तकालय एवं वाचनालय के माध्यम से विस्तृत अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पत्र-पत्रिकाओं में सामयिक समस्याओं पर प्रकाशित लेखों से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और उनके समाधान के प्रयासों का ज्ञान होगा और उसमें वे अपनी भूमिका का विचार कर सकेंगे। पुस्तकालय से उन्हें विभिन्न देशों के निवासियों के जीवन, उनकी संस्कृति, लोक कथाओं आदि पर पुस्तकें सुलभ होनी चाहिए। विश्व की महान विभूतियों, आविष्कारकों आदि की जीवनियाँ उनको पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए। विश्व के महान साहित्यकारों की कृतियाँ भी पढ़ने का उन्हें अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन से उनमें व्यापक दृष्टिकोण का विकास होगा और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा।

भाग 2

अध्याय 1

संयुक्त राष्ट्र संघ

द्वितीय महायुद्ध (1939-1944) की समाप्ति के बाद विश्व में शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से 1945 के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की शान्ति और सुलह से सुलझाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता प्रतीत हुई। द्वितीय महायुद्ध 1914-18 के प्रथम महायुद्ध की अपेक्षा अधिक विनाशकारी था क्योंकि इसमें परमाणु (ऐटम) बम का प्रयोग भी हुआ। बहुत से देशों के लोगों को यह आशंका होने लगी कि इस प्रकार के विनाशकारी युद्ध समाप्त न किये गये तो अवश्य ही आगामी युद्धों में भयंकर विनाश और सभ्यता का लोप हो सकता है। विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञों को भी युद्ध को भविष्य में रोकने की चिंता हुई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंसटन चर्चिल ने विश्व युद्ध के दौरान ही 14 अगस्त सन् 1941 को विश्व के सामने अनेक ध्येयों और उद्देश्यों की घोषणा की। यह घोषणा "अटलांटिक चार्टर" के नाम से विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घोषणा पत्र में विश्व में शान्ति स्थापना, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, स्वशासनाधिकार, समान व्यापाराधिकार, समुद्री स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सामंजस्य आदि के लक्ष्य का प्रस्ताव किया। इसकी पूर्ति के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर बल दिया गया। विश्व के चार बड़े राष्ट्र—संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिट्रेन, रूस, तथा चीन के राजनेता वाशिंगटन (अमेरिका) में 9 अक्टूबर 1944 को एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में एकत्र हुए जिसे "डम्बर्टन ओक्स कांफ्रेन्स" कहते हैं। इस सम्मेलन में प्रस्तावित विश्व-संगठन की रूपरेखा तैयार की गई। इस पर विचार करने के लिए 21 अप्रैल 1945 को अमेरिका के प्रसिद्ध नगर सैन फ्रांसिस्को में फिर एक सम्मेलन हुआ। जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का मसविदा तैयार किया गया। भारत ने भी इसमें भाग लिया था। 24 अक्टूबर, 1954 को इस मसविदे पर 5 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गयी। इसकी नींव न्यूयार्क में डाली गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 157 है। नवोदित बँगला देश को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हो गयी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रश्नों पर पारस्परिक विचार-विनिमय करना एवं सम्मति प्राप्त करना।

(3) पारस्परिक मतभेदों का शान्तिपूर्ण निपटारा करना।

(4) प्रत्येक राष्ट्र को समान समझना और समान अधिकार प्रदान करना।

(5) समस्त जाति के अधिकारों का सम्मान करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्त—

(1) सभी प्रभुता सम्पन्न सदस्य राष्ट्रों की समता।

(i) शिक्षा का विस्तार (ii) शिक्षा की उन्नति (iii) शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण । इस कार्यक्रम में साक्षरता के प्रसार और मौलिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है ।

(2) विज्ञान का विकास करना—इस कार्य की सफलता के लिए क्षेत्रीय विज्ञान सहयोग कार्यालयों की स्थापना की गई है ।

(3) विश्व के समस्त देशों को संस्कृति के प्रचार एवं विकास में सहयोग देना । यह मानव जाति की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील है । इसने सांस्कृतिक कार्य-क्रमों के अन्तर्गत अनुसंधान सभा, सम्मेलनों और विचार गोष्ठियों के आयोजन की भी व्यवस्था की है ।

(4) व्यक्ति विनिमय और जनसम्पर्क करना । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों के विद्वानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है । इसने जनसम्पर्क हेतु विभिन्न साधनों—प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन आदि के विस्तार के लिए काफी प्रयत्न किये हैं ।

(5) यह विभिन्न देशों के शरणार्थियों को पुनर्वास की सहायता पहुँचाता है । इस कार्य के लिए यह विश्व के समस्त देशों की जन कल्याणकारी संस्थाओं से धन संग्रह करता है ।

संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियाँ

संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में शान्ति स्थापना के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विशेष महत्व है । संयुक्त राष्ट्र का कार्य-क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जा रहा हैं और उसमें ऐसे कार्यों का समावेश हो गया है जिनका पहले अस्तित्व नहीं था जैसे अन्तरिक्ष तकनीकी का उपयोग, आणविक ऊर्जा का शान्तिपूर्ण कार्यों में प्रयोग, सागर तल के संसाधनों का उपयोग, पर्यावरण का संरक्षण आदि । विविध क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों के कतिपय उल्लेखनीय उदाहरण निम्नवत् हैं—

शान्ति की स्थापना

विश्व में शान्ति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र ने शक्ति के प्रयोग एवं अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की मनाही करते हुए आपसी विवादों को शान्तिपूर्ण समझौते से हल करने और परस्पर सहयोग के लिए आह्वान किया है । इसके लिए समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्गनिर्देश के लिए घोषणाएँ की हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप रोकना, शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना करना, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना, शस्त्रों की होड़ रोकना आदि है । जहाँ कहीं युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई वहाँ सुरक्षा परिषद्, संयुक्त राष्ट्र महासभा और सक्रेटरी जनरल ने शान्ति स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयास किया । इस प्रकार के उदाहरण हैं—फाकलैंड आइलैंड्स् के सम्बन्ध में अर्जेंटाइना और युनाइटेड किंगडम में विवाद, विएटनाम और कम्पूचिया के मध्य संघर्ष, अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति, माल्टा और लीबिया के मध्य विवाद, ईरान-ईराक युद्ध, इजराइल का ईराक पर आक्रमण ।

निःशस्त्रीकरण

शस्त्रों की रोक-थाम प्रारम्भ से ही संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख उद्देश्य रहा हैं और उसके द्वारा इस दिशा में निरन्तर प्रयास किया जा रहा है । संयुक्त राष्ट्र महासभा में समय-समय पर अनेकानेक प्रस्ताव पारित किए गये हैं जिनका उद्देश्य युद्ध को रोकना, आणविक अस्त्रों की होड़ समाप्त करना, शस्त्रों को सीमित करना, रासायनिक अस्त्रों,

आणविक अस्त्रों के परीक्षणों पर नियंत्रण आदि है। इस विषय का महत्व इतना अधिक है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1970 आदि को प्रथम निःशस्त्रीकरण दशक और 1980 आदि को द्वितीय निःशस्त्रीकरण दशक के रूप में घोषित किया।

शान्ति संरक्षण कार्यवाही

राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न विवादों अथवा युद्ध की समाप्ति के लिए सामान्यतः शान्तिपूर्ण समझौता-वार्ता, मध्यस्थता आदि का उपयोग किया जाता है। परन्तु कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद् के निर्देश और सम्बन्धित पक्षों की सहमति से सैनिक प्रेक्षक अथवा शान्ति-रक्षा सेना का उपयोग किया जाता है। शान्ति रक्षा सेना का गठन सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपलब्ध करायी सेना से होता है। सैनिक प्रेक्षक मिशन और शान्ति रक्षा सेना के उपयोग के उदाहरण निम्नवत् हैं—

सैनिक प्रेक्षक मिशन—जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम का पर्यवेक्षण। यूनाइटेड नेशन्स ट्रस सुपरविजन आर्गेनाइजेशन लेबनान, सीरिया, जोरडन में कार्यरत है।

शान्ति रक्षा सेनायें—1964 में साइप्रस में अन्तर्जातीय संघर्ष में, इजराइल और सीरिया के युद्ध विराम में इस प्रकार की सेनाओं का उपयोग हुआ। इजराइल और अरब राज्यों के मध्य युद्ध विराम के अवसर पर तथा 1956 में स्वेज नहर सम्बन्धी संघर्ष में यूनाइटेड नेशन्स इमर्जेन्सी फोर्स का उपयोग किया गया।

पैलेस्टाइन समस्या

संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टाइन के निवासियों के स्वशासन, स्वतन्त्र प्रभुसत्ता को मान्यता प्रदान की है और वह इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है।

जातीय भेदभाव : एवं पृथकतावादी नीति

संयुक्त राष्ट्र किसी प्रकार के भेदभाव का अनुमोदन नहीं करता और इस प्रकार वह जातीय भेदभाव के विरुद्ध है। जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिये 'इंटरनेशनल कन्वेन्शन आन द एलिमिनेशन ऑव आल फार्म्स ऑव रेशल डिसक्रिमिनेशन 1969 से प्रभावान्वित हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1973 से प्रारम्भ होने वाले दशक को जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला दशक घोषित किया। दक्षिण अफ्रीका द्वारा जातीय भेद की नीति अपनायी गई है और वहाँ काले रंग के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस जातीय पृथकतावादी नीति के विरोध में कदम उठाये हैं और दक्षिण अफ्रीका को सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी प्रकार के सहयोग पर रोक लगाने का आह्वान किया है।

उपनिवेशवाद से मुक्ति

संयुक्त राष्ट्र ने बहुत से देशों को उपनिवेशवाद से मुक्ति दिला कर स्वतन्त्र कराया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, 1945 से अब तक 75 से भी अधिक राष्ट्र इस प्रकार स्वाधीन होकर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन चुके हैं। इस समय नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका के आधिपत्य से मुक्त कराने का विशेष प्रयास चल रहा है।

सागर विषयक नियम

सागर के उपयोग के सम्बन्ध में कानून की आवश्यकता का अनुभव करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने अब तक तीन सभायें आयोजित की हैं जिनमें अनेक समझौते निश्चित हुए हैं। उनके अनुसार राष्ट्रों को सागर की सीमाओं एवं संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।

मानव अधिकार

सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और स्वतन्त्रता प्राप्त कराने लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। इसके पश्चात उसके कार्यान्वयन के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौता, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौता तथा परवर्ती समझौते के ऐच्छिक प्रलेख स्वीकार किए गये। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों के हनन के मामले पर विचार करता है और उसके लिए प्रभावी कदम उठाता है। मानव अधिकार के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, चिली, पोलैन्ड, ईरान, एल सैल्वडोर, ग्वाटेमाला और बोलीविया की स्थिति पर विशेष विचार किया जा रहा है।

आर्थिक और सामाजिक प्रगति

संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में सामाजिक प्रगति और उच्चतर जीवन-स्तर की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिये संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यकर्ताओं एवं वित्तीय संसाधनों का 70% सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए उपयोग कर रहा है। समानता, समानहित और पारस्परिक सहयोग के अधार पर एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई है। जनवरी 1, 1981 से तृतीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक घोषित किया गया है और इसकी कार्यनीति निर्धारित की गई है। विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग यूनाइटेड नेशन्स कान्फरेन्स आन ट्रेड ऐण्ड डेवेलपमेन्ट ने (UNCTAD), यूनाइटेड नेशन्स डेवेलपमेन्ट प्रोग्रेस (UNDP), यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट आर्गनाइजेशन (UNIDO) आदि के माध्यम से विकास कार्यों में प्रगति लायी जा रही है। यूनाइटेड नेशन्स एनवायरनमेन्ट प्रोग्रैम (UNEP) द्वारा मानव पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में कार्य किया जा रहा है। ट्रस्ट फंड फार पापुलेशन एक्टिविटीज के माध्यम से विकासशील देशों को अपने जन-संख्या-कार्यक्रम संचालित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ल्ड फूड काउंसिल द्वारा भूख और कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक स्तर पर स्त्रियों की दशा सुधारने, युवावर्ग की विकास कार्यों में भागीदारी, अक्षम व्यक्तियों की उन्नति एवं शरणार्थियों की स्थिति में सुधार आदि के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। अपराधों की रोकथाम के लिए भी एक समिति का बिर्माण हुआ है जो इस दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए कार्यरत है।

अन्तरिक्ष का प्रयोग

संयुक्त राष्ट्र अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करने के लिये अन्तरिक्ष युग प्रारम्भ होने के समय से ही सचेष्ट है। इसके लिये संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से पाँच अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। पहला अन्तरिक्ष के अन्वेषण को नियमित करने के विषय में है, दूसरा और तीसरा अन्तरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा से सम्बन्धित है। चौथा अन्तरिक्ष में प्रेषित वस्तुओं (Objects) के पंजीकरण के लिए और पाँचवा चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों के कार्यकलापों का नियमन करने के लिए है।

अध्याय 2

विद्यालय एवं संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व-शान्ति एवं मानव-कल्याण के प्रयोजन से हुई है। परन्तु उसकी सफलता के लिये आवश्यक है कि लोग उसके उद्देश्यों को भलीभाँति समझें, उसके कार्यों में रुचि लें तथा उसे अपना समर्थन प्रदान करें। जन-समर्थन के अभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ की लक्ष्य-सिद्धि संदिग्ध है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति लोगों में इस प्रकार के विवेकपूर्ण समर्थन के विकास के लिये बाल्यावस्था में ही उसका बीजारोपण होना चाहिये और इस कार्य का दायित्व विद्यालयों को वहन करना होगा। इसके महत्व का अनुभव करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा (जनरल एसेम्बली) ने भी सदस्य राष्ट्रों से अपेक्षा की है कि वे विद्यालयों में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों, सिद्धान्तों, उसकी संरचना तथा उसके कार्य-कलापों के अध्ययन को प्रोत्साहन दें।

इस विचारधारा के अनुरूप, अधिकाधिक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में अध्ययन के महत्व को स्वीकार करते हुए विद्यालयीय शिक्षा में उसे समुचित स्थान देने के प्रति जागरूकता प्रदर्शित कर रहे हैं। उसे पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विविध विषयों के अध्ययन में समाविष्ट किया जा रहा है अथवा विविध परियोजनाओं या क्रिया-कलापों के माध्यम से उसके अध्ययन को बल दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने विशिष्ट अभिकरणों सहित कहाँ और किस प्रकार कार्यरत है, इसके अध्ययन द्वारा विषय को रोचक एवं सार्थक बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में शिक्षण का अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा के कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व-शान्ति तथा बहुमुखी विकास में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की अवहेलना नहीं की जा सकती।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में शिक्षण हेतु उपागम

संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में शिक्षण हेतु दो प्रकार के उपागम अपनाये जा सकते हैं :—

1. **ऐतिहासिक उपागम**—इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसके अन्तर्गत कार्यरत अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। विकास-क्रम में उद्भूत विशिष्ट धाराओं यथा जनतंत्र का विकास, समाजवाद का उदय, 'लीग आव नेशन्स' की स्थापना आदि का अध्ययन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों की स्थापना का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह उपागम शास्त्रीय अध्ययन की ओर उन्मुख है।

2. **समस्यापरक उपागम**—इसके अन्तर्गत अध्ययन का केन्द्र बिन्दु विश्व की विभिन्न समस्यायें यथा युद्ध, निरक्षरता, खाद्य समस्या, रोगनिवारण, आर्थिक विकास सम्बन्धी समस्यायें, मानव अधिकारों का हनन आदि हैं। इन समस्याओं के समाधान पर विचार करते हुए शिक्षार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके विशिष्ट संगठनों के योगदान का परिचय प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही उसके सिद्धान्तों, संगठन तथा कार्यकलापों का व्यापक अध्ययन भी कर सकते हैं। अपने देश की समस्याओं के निराकरण में उसके योगदान का परिचय अध्ययन को अधिक सजीव एवं प्रभावी बनाता है।

शिक्षण विधि

1. पाठ्यक्रम में विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान और भाषा को पाठ्यवस्तु में विद्यमान संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी प्रकरणों का पारम्परिक विधि से शिक्षण करते समय संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों, सिद्धान्तों, उपयोगिता, सफलता असफलता आदि पर सम्यक चिन्तन उत्प्रेरित किया जा सकता है।

2. अध्ययन को अधिक प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिये क्रियात्मक विधियों का उपयोग करना अधिक लाभप्रद होगा। इसके लिये निम्नलिखित विधायें अपनायी जा सकती हैं :—

(क) किसी सामयिक समस्या पर छात्रों को सामूहिक रूप से विचार विमर्श करने, अपना स्वतन्त्र मत प्रकट करने और निष्पक्ष निर्णय लेने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक 'प्रोजेक्ट' का आयोजन किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत किसी एक क्षेत्र जैसे मध्य-एशिया या दक्षिण-पूर्व एशिया में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सम्बन्धित अभिकरणों के कार्य का अध्ययन करके उसकी आख्या तैयार की जा सकती है। किसी विशिष्ट देश अथवा स्वदेश या देश के किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट ले सकते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही विशिष्ट अभिकरण जैसे 'वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन, अथवा अनेक अभिकरणों जैसे वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन फूड ऐण्ड ऐग्रिकल्चर आर्गनाइजेशन, यूनिसेफ इन्टरनेशनल मानिटरी फंड आदि के कार्यों का लेखा-जोखा तैयार किया जा सकता है।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में उपलब्ध फिल्मों का प्रदर्शन अत्यन्त उपयोगी होगा।

4. रेडियो अथवा टेलिविजन में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों से सम्बन्धित प्रसारणों का लाभ उठाना चाहिये।

5. चित्र, पोस्टरों आदि का प्रदर्शन अध्ययन को रोचक बनाने के लिए अवश्यक है।

सहपाठ्यक्रमीय क्रिया कलाप

1. अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों जैसे संयुक्त राष्ट्र दिवस (24 अक्टूबर) मानव अधिकार दिवस (10 दिसम्बर), का आयोजन छात्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के प्रति विशेष जागरूकता प्रदान करता है। इन अवसरों पर आमन्त्रित विद्वानों के भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के विषय में चित्र प्रदर्शिनी, पुस्तक प्रदर्शिनी, फिल्म प्रदर्शन आदि कार्यक्रम संचालित किये जा सकते हैं। इन कार्यक्रमों की तैयारी में छात्रों को खोज और अध्ययन करने की आवश्यकता होती हैं जो उनकी ज्ञानवृद्धि में अत्यन्त सहायक सिद्ध होती है।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा की अनुकृति, जिसमें किसी समस्या का चयन करके सभा आयोजित की जाती है और छात्र विविध देशों के प्रतिनिधियों के रूप में अपना विचार प्रकट करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य प्रणाली को मूर्त रूप में प्रदर्शित करने का साधन है।

3. छात्र विभिन्न क्लब जैसे यूनेस्को क्लब यू० एन० क्लब आदि संगठित कर सकते हैं और क्लब के क्रिया कलापों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में ज्ञानवृद्धि एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर सकते हैं।

अध्याय 3

यूनेस्को

यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइन्टिफिक ऐण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है। इसकी स्थापना 1946 में केवल 20 राज्यों की सदस्यता के साथ हुई, परन्तु क्रमश: इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि हुई और अब इसके सदस्य राज्यों की संख्या 155 हो चुकी है। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है।

यूनेस्को एक विशिष्ट संकल्पना का साकार रूप है। इसके संविधान के प्राक्कथन (Preamble) में यह आधारभूत विचार व्यक्त किया गया हैं कि "चूंकि युद्धों का उदय मनुष्यों के मन में होता है, इसलिए मनुष्यों के मन में ही शान्ति की सुरक्षा के साधनों का निर्माण किया जाना चाहिए।"[1] इसी धारणा के अनुसार यूनेस्को निरन्तर शान्ति की स्थापना के प्रयास में संलग्न है।

उद्देश्य

इस संगठन का उद्देश्य है शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में योगदान करने के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना जिससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित भेदभाव रहित मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं, न्याय तथा कानून के प्रति सार्वभौम समादर में अभिवृद्धि हो सके।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति में यूनेस्को द्वारा विश्व में एक दूसरे के विषय में जानकारी एवं परस्पर सद्भावना के विकास, शिक्षा और संस्कृति के व्यापक प्रसार तथा ज्ञान के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रसार में योगदान किया जाना अभीष्ट है।

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सद्भावना और मानव अधिकारों का संवर्द्धन यूनेस्को का नैतिक लक्ष्य है और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है। यूनेस्को के भूतपूर्व डाइरेक्टर जनरल, रेने महेयू (Rene Maheu) के अनुसार 'शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार स्वयं ही यूनेस्को के साध्य नहीं है; वरन् वे केवल एक आध्यात्मिक आयोजन एवं नैतिक प्रयास के साधन हैं, जो उसका वास्तविक साध्य है।'[2].

संरचना

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य-राज्यों को यूनेस्को की सदस्यता का अधिकार है परन्तु अन्य राज्यों को भी

1. Since wars begin in the minds of men, it is in the minds ef men that defences of peace must be constructed.
2. Education, science, culture and communication are not ends in themselves for Unesco but simply ways and means of a spiritual undertaking and moral effort that constitutes its true mission.

—Rene Maheu (as quoted in Looking at Unesco, Paris, Unesco, 1973, p. 9.)

यूनेस्को की सामान्य सभा के निर्णय पर सदस्यता प्रदान की जा सकती है। यूनेस्को के तीन प्रमुख अंग है—सामान्य सभा, प्रशासनिक परिषद तथा सचिवालय।

सामान्य सभा (General Conference)—यह यूनेस्को का सर्वोच्च अंग है, जिसमें सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्य सभा की बैठक प्रति दो वर्ष की अवधि में होती है, जिसमें इसके कार्यक्रम तथा नीतियों आदि पर विचार किया जाता हैं।

प्रशासनिक परिषद (Executive Board)—इसके सदस्यों का चुनाव सामान्य सभा द्वारा प्रतिनिधियों में से किया जाता है। प्रशासनिक परिषद् के सदस्यों की वर्तमान संख्या 45 है। सदस्यों का चुनाव उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह परिषद् यूनेस्को के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का संचालन करती है।

सचिवालय (Secretariat)—सचिवालय पर यूनेस्को के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का दायित्व है। इसमें सदस्य राज्यों के विशेषज्ञ सम्मिलित रहते हैं। सचिवालय का शीर्षस्थ अधिकारी डाइरेक्टर जनरल है जिसकी सहायता के लिये विभिन्न कार्यक्षेत्रों—शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मानविकी और संस्कृति, संचार, कार्यक्रम नियोजन, प्रशासन—के असिस्टेन्ट डाइरेक्टर जनरल हैं। प्रत्येक कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कई विभाग कार्य करते हैं, उदाहरणार्थ, शिक्षा में तीन विभाग हैं—शैक्षिक नियोजन एवं वित्तीय व्यवस्था विभाग, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि विभाग, उच्चशिक्षा तथा शैक्षिक कर्मियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी विभाग। शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित चार क्षेत्रीय कार्यालय (बैंकाक, बेरुत, Dakar, सैन्टियागो) तथा इंटरनेशनल ब्यूरो आव एजूकेशन (जेनेवा), इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार एजूकेशनल प्लैनिंग (पेरिस) एवं यूनेस्को इंस्टीट्यूट फार एजूकेशन (हैम्बर्ग) हैं। विज्ञान के क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, जकार्ता, काहिरा, मान्टेवीडियो और नौरोबी में स्थापित हैं। सचिवालय के विशिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु विविध कार्यालय है, उदाहरणार्थ, आफिस और डेटा प्रॉसेसिंग, ब्यूरो आव कान्फरेन्सेज लैंगुवेजेज़ ऐण्ड डाक्यूमेन्ट्स, आफिस आव द यूनेस्को प्रेस, आफिस आव पब्लिक इन्फार्मेशन आदि। यूनेस्को प्रेस द्वारा चार-पाँच नई पुस्तकें प्रति सप्ताह प्रकाशित की जाती हैं।

वित्तीय संसाधन

यूनेस्को के सदस्य राज्य यूनेस्को के बजट में नियमित योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त उसके कार्यक्रमों के लिये वित्तीय संसाधनों का मुख्य स्रोत यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्रैम से प्राप्त अनुदान है, जो विभिन्न देशों द्वारा विकास कार्यों के लिए स्वैच्छिक अनुदान से उपलब्ध होता है।

कार्य

यूनेस्को के नाम से उसके विस्तृत कार्यक्षेत्र अर्थात् शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों का बोध होता है, परन्तु उसके कार्यों की व्यापकता इससे भी अधिक है और सामाजिक विज्ञान तथा संचार सम्बन्धी कार्यक्रमों का भी इसमें समावेश है। सार्वभौम पुस्तक प्रकाशन सर्वाधिकार समझौता (Universal Copyright Convention) भी यूनेस्को की देन है, जो 1952 से प्रचलित हैं और इसका प्रतीक © पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण की सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न क्षेत्रों में यूनेस्को के योगदान की संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है।

शिक्षा

यूनेस्को का सबसे विस्तृत कार्यक्षेत्र शिक्षा है। उसके द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षा सम्बन्धी परियोजनायें

संचालित की जा रही हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को मानव अधिकार के रूप में स्थापित करना, शिक्षा व्यवस्था को जनतंत्रीय स्वरूप प्रदान करना तथा तकनीकी के अभिनवीकरण का लाभ उठाते हुए शिक्षा की विधियों में सुधार करना है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार नागरिकों का निर्माण करने में सहायता मिल सके। जीवन पर्यन्त शिक्षा की संकल्पना यूनेस्को की प्रमुख मान्यता है।

यूनेस्को के शैक्षिक कार्यक्रम मुख्यतः निम्नलिखित दिशाओं के प्रति अभिमुख हैं :—

1. **निरक्षरता का निवारण**—इसके लिये दो प्रकार के प्रयास हो रहे हैं—प्रथम, प्रौढ़ साक्षरता अभियान, द्वितीय, शिक्षा का सार्वजनीकरण।

2. **विज्ञान और तकनीकी की सामान्य शिक्षा**—जनसामान्य में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के लिए इस प्रकार की शिक्षा का अत्यधिक महत्व हैं। इसके बिना वैज्ञानिक क्रान्ति की सफलता सम्भव नहीं है। यूनेस्को विभिन्न राष्ट्रों में विज्ञान शिक्षण का संवर्द्धन करने तथा सम्बन्धित शिक्षण सामग्री निर्माण के केन्द्र विकसित करने में योगदान कर रहा है।

3. **ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा**—विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या का बाहुल्य है। उसके लिए विज्ञान शिक्षण सामग्री का विकास करने तथा ग्रामीण विकास में शिक्षा का समावेश करने के लिए यूनस्को द्वारा परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।

4. **सुविधा वंचित लोगों की शिक्षा**—शिक्षा को जनतंत्रीय स्वरूप देने के सिद्धान्त के अनुरूप यूनेस्को समाज के सुविधा-वंचित वर्गों यथा स्त्रियों तथा विकलांगों की शिक्षा के लिये व्यापक प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शरणार्थी बच्चों उदाहरणतः पैलेस्टाइन के शरणार्थी बच्चों के लिये विद्यालय खोलने में यह योगदान कर रहा है।

5. **शैक्षिक नियोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण**—शिक्षा के उन्नयन के लिये इस प्रकार का प्रशिक्षण अनिवार्य आवश्यकता है।

6. **शिक्षक प्रशिक्षण**—शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा विशेष महत्व दिया गया हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न देशों में नब्बे से अधिक परियोजनायें चल रही हैं।

7. **शिक्षा के नये क्षेत्रों का विकास**—जनसंख्या, पर्यावरण एवं सार्वभौम मानव अधिकारों आदि क्षेत्रों में शिक्षा के अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं।

8. **उच्च शिक्षा का विकास**—यूनेस्को द्वारा उच्च शिक्षा के विकास में भी योगदान किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में छात्रों और अध्यापकों के परस्पर आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जा रहा है तथा पाठ्य-क्रमों और प्रमाण-पत्रों को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा परस्पर मान्यता प्रदान करने की दिशा में प्रयास हो रहा है।

विज्ञान

वैज्ञानिक विकास में सहयोग की दिशा में यूनेस्को मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों में संलग्न है :—

1. **विश्व-समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिकों का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग**—विश्व-समस्याओं के समाधान में

विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना यूनेस्को का महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के रूप में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यथा 'मैन ऐन्ड द बायोस्फियर', 'ओशेनोग्रैफिक कमीशन', 'हाइड्रोलाजिकल प्रोग्रैम', 'जिओलाजिकल कोरिलेशन प्रोग्रैम' आदि हैं।

2. विज्ञान और तकनीकी में शोध और प्रशिक्षण—इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य विकास-कार्य को बढ़ावा देना है।

3. सदस्य राष्ट्रों को तकनीकी सलाह देना—यूनेस्को द्वारा सदस्य राष्ट्रों को विकास कार्यक्रम हेतु विज्ञान और तकनीकी के संवर्द्धन के लिए परामर्श सेवा एवं सहयोग प्रदान किया जाता है।

समाज विज्ञान

शान्ति की स्थापना में मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का अत्यधिक महत्व है और यह क्षेत्र समाज विज्ञान के अन्तर्गत है। इसीलिये सामाजिक विज्ञानों का यूनेस्को के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक तनावों का अध्ययन, भविष्य समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए शोध, विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन, पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन आदि के समान कार्यक्रम इस क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त मानव अधिकारों की स्थापना के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है ताकि मानव अधिकारों के हनन को रोका जा सके। साथ ही विकास कार्यों में स्त्रियों तथा युवा-वर्ग की भूमिका को बढ़ावा देने के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। शान्ति की स्थापना के लिए सामाजिक विज्ञान के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शोध-केन्द्रों का विकास भी किया जा रहा है।

संस्कृति

संस्कृति के क्षेत्र में भी यूनेस्को के कार्यक्रमों को पर्याप्त ख्याति मिली है। सांस्कृतिक भवनों, कलाकृतियों प्राचीन पुस्तकों आदि का संरक्षण, विश्व में व्यापक रूप से संस्कृति की जीवनदायिनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कराने का प्रयास, राष्ट्रों की अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं का संरक्षण करने में योगदान, एक दूसरे की संस्कृतियों के अध्ययन को बढ़ावा देना, भाषाओं के विकास में सहयोग, पुस्तकों के प्रणयन एवं प्रसार में योगदान करना आदि इसके प्रमुख कार्यक्रम हैं।

संचार

यूनेस्को के संविधान के अनुसार विचारों के निर्बाध प्रवाह में योगदान करना इसका दायित्व है। अतः इस दिशा में यूनेस्को निरन्तर प्रयत्नशील है। यूनेस्को द्वारा विभिन्न देशों की संचार सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया है और उन्हें संचार सम्बन्धी नीति निर्धारण, संचार व्यवस्था के विकास, समाचार एजेन्सियों के गठन, रेडियो, टेलिविजन, कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार और शिक्षा के विकास आदि कार्यों में सहयोग प्रदान किया है। संचार प्रणाली के विकास में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यूनेस्को द्वारा 'इंटरनेशनल प्रोग्रैम फार द डेवेलपमेन्ट ऑव कम्युनिकेशन' (IPDC) की स्थापना की गई है।

अन्य अभिकरणों से सहयोग

यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के अन्य विशिष्ट अभिकरणों को भी सहयोग प्रदान करता है, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम

संगठन को व्यावहारिक साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना, विश्व बैंक को शैक्षिक परियोजनाओं के लिये अनुदान देने में सहायता करना, यूनिसेफ की शैक्षिक परियोजनाओं में सहयोग देना आदि।

सम्पर्क माध्यम

यूनेस्को के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न राष्ट्रवासियों की सहभागिता के लिए अनेक माध्यम हैं, जो यूनेस्को के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हैं।

यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग—ये आयोग यूनेस्को के सदस्य राज्यों में गठित संगठन हैं, जिनमें सम्बन्धित देश के कुछ सरकारी प्रतिनिधि तथा शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति, सामाजिक विज्ञान, संचार आदि के, जो कि यूनेस्को के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विषय है, विशेषज्ञ सम्मिलित रहते हैं। यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से यूनेस्को सचिवालय का सम्पर्क सम्बन्धित देश की सरकार से स्थापित होता है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा यूनेस्को के कार्यों का प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग विद्यालयों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। भारतीय यूनेस्को आयोग द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार भारत में 588 विद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुने गये हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उ० प्र० से चुने गए विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 में दी गयी है। अधिकांश सदस्य राज्यों में यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग गठित हो चुके हैं।[1]

अशासकीय संगठन—यूनेस्को को अपने कार्यक्रमों में अशासकीय संगठनों जैसे इंटरनेशल काउंसिल आव साइन्टिफिक यूनियन्स, इंटरनेशनल काउंसिल आव म्यूजियम्स, वर्ल्ड फेडेरेशन आव टीचर्स यूनियन्स आदि से अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार से यूनेस्को की परियोजनाओं में सहयोग देने वाले संगठनों की संख्या 450 से अधिक है।

यूनेस्को क्लब—अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में तथा समाज के अन्य लोगों द्वारा यूनेस्को क्लब गठित किये गये हैं, जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यूनेस्को सहित संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग दे रहे है। इस समय विभिन्न देशों में 2500 से अधिक यूनेस्को क्लब गठित हैं। इन्हें यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों तथा क्लब संघों से मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

एसोशिएटेड स्कूल्स प्रोजेक्ट—यूनेस्को द्वारा आयोजित यह प्रोजेक्ट 1953 में प्रारम्भ हुआ था। इसके द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों एवं शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं को विश्व-समस्याओं, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्य राष्ट्रवासियों के जीवन तथा संस्कृति के अध्ययन एवं मानव अधिकार सम्बन्धी विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं। इस समय विभिन्न देशों में 1400 से अधिक विद्यालय इस प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार, नवीन शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा शिक्षा अधिकारियों में विश्व-समस्याओं के प्रति रुचि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है। यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिये चुने गये विद्यालयों में तीन विषय-क्षेत्रों में अध्ययन-कार्य पर बल दिया जा रहा हैं—संयुक्त राष्ट्र और इसके विशिष्ट अभिकरण, मानव अधिकार, अन्य देश एवं संस्कृतियाँ। यूनेस्को सचिवालय सम्पूर्ण कार्यक्रम

1. भारतीय यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग का पता :
Indian National Commission for Co-operation with Unesco, Ministry of Education and Social Welfare, Shashtri Bhawan, New Delhi.

का समायोजन करता है। वह विभिन्न देशों के एसोशिएटेड स्कूल्स में सम्पर्क स्थापित कराने, उन्हें आर्थिक सहायता देने तथा विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराने का कार्य करता है।

आफिस आव पब्लिक इन्फार्मेशन—यूनेस्को का यह अनुभाग यूनेस्को के कार्यकलापों के विषय में सूचना प्रसारित करने के लिये विविध भाषाओं में पत्रिकायें प्रकाशित करता है। ये पत्रिकायें 'यूनेस्को कुरियर' (Unesco Courier), 'यूनेस्को क्रानिकिल' (Unesco Chronicle) तथा 'यूनेस्को फीचर्स' (Unesco Features) हैं।

यूनेस्को द्वारा भारत के विकास में योगदान

भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है और यूनेस्को को शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराता है तथा यूनेस्को की सभायें, गोष्ठियाँ, ट्रेनिंग कोर्स आदि आयोजित करने में सहयोग प्रदान करता है। यूनेस्को भी भारत की विकास परियोजनाओं में आर्थिक सहायता, विशेषज्ञ सेवा, छात्रवृत्ति, उपकरण तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग देता है। यूनेस्को द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों से भी भारत लाभान्वित होता है। विविध क्षेत्रों में भारत को यूनेस्को से प्राप्त सहयोग के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं :

शिक्षा—वर्तमान 'नेशनल इंस्टीट्यूट आव एजुकेशनल प्लैनिंग ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन' 1962 में एशियन इंस्टीट्यूट आव एजुकेशनल प्लैनिंग ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन के रूप में यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया था।

'सेकेन्डरी स्कूल साइन्स टीचिंग प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत यूनेस्को ने एन० सी० ई० आर० टी० को पाठ्यक्रम सुधार, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक निर्देशिका रचना, विज्ञान शिक्षण सामग्री के निर्माण आदि में सहायता प्रदान की।

साक्षरता कार्यक्रम में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के सहयोग से 'फार्मर्स ट्रेनिंग ऐण्ड फंकशनल लिटरेसी' कार्यक्रम के संचालन में सहायता दी।

खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा और शोध को सुदृढ़ करने की परियोजना में सहायता प्रदान की।

यूनेस्को के सहयोग से नई दिल्ली में 'सेन्टर फार एजुकेशनल टेकनालजी' की स्थापना हुई।

यूनेस्को द्वारा संचालित 'एसोशिएटेड स्कूल्स प्रोजेक्ट' में भारत के 33 विद्यालय (1980 की स्थिति के अनुसार) सम्मिलित हैं।

विज्ञान और तकनीकी—दक्षिण और मध्य एशिया के लिए यूनेस्को का 'रीजनल आफिस आव साइंस ऐण्ड टेकनालजी', नई दिल्ली में स्थापित है जिसके माध्यम से विज्ञान और तकनीकी से सम्बन्धित विविध विचारगोष्ठियाँ, कार्य-गोष्ठियाँ, कोर्स आदि संचालित किए जाते हैं।

तकनीकी विशेषज्ञों की शिक्षा के लिए यूनेस्को ने रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों (इलाहाबाद, भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, मंगलोर, नागपुर, राउरकेला, तिरुचिरापल्ली) की स्थापना में सहायता दी है।

कुछ अन्य वैज्ञानिक-तकनीकी संस्थानों की स्थापना भी यूनेस्को के सहयोग से हुई है यथा 'टीचर ट्रेनिंग फार इंजीनियरिंग कालेजेज' (वारंगल), 'इंडियन नेशनल डाक्यूमेंटेशन सेन्टर' (नई दिल्ली), 'सेन्ट्रल साइन्टिफिक

इंस्ट्रूमेन्ट्स आर्गेनाइजेशन' (चण्डीगढ़), 'सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट' (जोधपुर), नेशनल इंस्टीट्यूट आव फाउन्ड्री ऐण्ड फोर्ज टेकनालजी' (राँची), 'सेन्ट्रल मेकैनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट' (दुर्गापुर), 'मेकैनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च ऐण्ड डेवेलपमेन्ट आर्गेनाइजेशन' (लुधियाना, मद्रास, दुर्गापुर), 'इंडियन ओशेन बायोलाजिकल सेन्टर' (कोचीन), 'स्कूल आव प्लैनिंग ऐण्ड आर्किटेक्चर (नई दिल्ली), 'इंडियन इंस्टीट्यूट आव पेट्रोलियम' (देहरादून), 'टर्बोमशीनरी ऐण्ड कम्बश्चन लैबोरेटरी' (बंगलोर), 'टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' (भोपाल), 'सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट' (पिलानी)। यूनेस्को ने कुछ विश्वविद्यालयों के विभागों में 'सेन्टर्स आव एडवान्स्ड स्टडी' स्थापित करने में सहायता प्रदान की है, जैसे केमिकल टेक्नालजी (बम्बई); 'एप्लाइड मैथेमेटिक्स (कलकत्ता); बाटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री (दिल्ली); मैथेमैटिक्स (जादवपुर); बाटनी, बायोफिजिक्स (मद्रास); केमेस्ट्री, जिओफिजिक्स (उस्मानिया), जिओलजी (पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़)।

संस्कृति—भारत ने यूनेस्को द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग के लिए संचालित विविध क्रिया कलापों में भाग लिया, विशेषरूप से दस वर्षीय 'मेजर प्रोजेक्ट आन द म्यूचुअल एप्रिसिएशन आव ईस्टर्न ऐण्ड वेस्टर्न कल्चरल वैल्यूज' में, जिसके माध्यम से भारत की अनेक साहित्यिक कृतियों का अनुवाद और प्रकाशन यूनेस्को द्वारा किया गया है।

यूनेस्को ने रंगनाथ स्वामी मंदिर (तमिलनाडु) के संरक्षण और नवीनीकरण में सहायता दी है।

यूनेस्को द्वारा अजन्ता की गुफाओं के भित्ति चित्रों के पुनर्निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया है।

पांडिचेरी में 'आरोविले', जो कि भावी अन्तर्राष्ट्रीय नगर है, के निर्माण में यूनेस्को ने सहयोग दिया है।

जनसंचार—फिल्म ऐण्ड टेलिविजन इंस्टीट्यूट आव इंडिया, पुणे में 'द टेलिविजन प्रोग्राम रिसर्च ऐण्ड प्रोटोटाइप रिसर्च यूनिट' की स्थापना यूनेस्को और फोर्ड फाउन्डेशन की सहायता से हुई है।

'द नेशनल बुक ट्रस्ट' (नई दिल्ली), 'द सदर्न लैंगुएजेज बुक ट्रस्ट (मद्रास), इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आव तमिल स्टडीज' (मद्रास), 'इंडियन इंस्टीट्यूट आव मास कम्युनिकेशन' (नई दिल्ली) को यूनेस्को से सहायता प्राप्त हुई है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के आदर्श के रूप में यूनेस्को के सहयोग से हुई थी।

विश्व शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित जिस कल्याणकारी सत्प्रयास में यूनेस्को संलग्न है वह सराहनीय है। इस सत्कार्य में सहभागी बनना प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक का कर्तव्य है। इसके लिये यूनेस्को क्लब का सदस्य बनकर उसके कार्यक्रमों में सहयोग किया जा सकता है। यूनेस्को से सहयोग करने वाले अशासकीय संगठनों में सम्मिलित होकर भी अपना योगदान किया जा सकता है। एसोशिएटेड स्कूल्स प्रोजेक्ट एक अन्य महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र तथा शिक्षा अधिकारी यूनेस्को के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग दे सकते हैं। यूनेस्को के कार्यक्रमों से परिचित होने के लिये यूनेस्को द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें नियमित रूप से पढ़ने की आवश्यकता है।

अध्याय 4

यूनेस्को क्लब

यूनेस्को के संविधान के प्राक्कथन में कहा गया है कि शासनों के राजनैतिक एवं आर्थिक समझौतों पर आधारित शांति ऐसी नहीं होगी जिसे संसार के जनसमुदायों द्वारा सर्वसम्मत स्थायी एवं हार्दिक समर्थन मिल सके ।

इस परिप्रेक्ष्य में जनसमुदायों की शांति के लिए प्रयासों सें सम्बद्ध करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया, विशेष रूप से द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात यह अनुभूति प्रबल रूप से उद्भूत हुई और आज भी इस संघर्ष-पीड़ित विश्व सें यह आवश्यकता उतनी ही प्रबल है । इस आवश्यकता की प्रतिक्रिया के रूप में लोगों ने स्वतः ही यूनेस्को क्लबों की स्थापना करके अपना योगदान प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार यूनेस्को क्लब अभियान लोगों के स्वतःस्फूर्त उत्साह एवं आदर्श प्रेम का फल है ।

यूनेस्को क्लब का तात्पर्य

जीवन के समस्त क्षेत्रों के, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों का समूह जो यूनेस्को के आदर्शों से सहमत है, उसका प्रचार और प्रसार करता है तथा उसके द्वारा अनुप्राणित क्रिया-कलापों से अपने को सम्बद्ध रखता है, यूनेस्को क्लब कहलाता है । अनेक विविधताओं के प्रत्युत इन क्लबों में एक समानता पायी जाती है, वह है यूनेस्को के संविधान में व्यक्त आदर्शों में दृढ़विश्वास तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में आस्था ।

यूनेस्को क्लब नाम में दो प्रत्यय सम्मिलित हैं—क्लब तथा यूनेस्को ।

क्लब का तात्पर्य एक ऐसे मानव समूह से है जिसका निर्माण स्वतंत्रतापूर्वक चुने हुए किसी उद्देश्य के लिए कार्य करने के लिए हुआ हो । इसमें सदस्यगण बहुत कुछ सीखते हैं, यथा प्रजातंत्र के एक लघु संस्करण का संचालन, किसी दिशा में पहल करने का रुझान, उत्तरदायित्व का भाव ग्रहण करना, स्वार्थ तथा निरंकुशता की भावना पर विजयी होना, परस्पर मिल कर कार्य करना, सामूहिक सम्पत्ति की व्यवस्था करना, सहिष्णु होना, लिंग, जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा अथवा सामाजिक पृष्ठिभूमि पर आधारित भेदभाव का बहिष्कार आदि । यूनेस्को क्लब में संकीर्णता के प्रति सतर्कता की आश्यकता हैं । सदस्यों में इस प्रकार का भाव नहीं उदय होना चाहिए कि वे विशेष ज्ञानयुक्त समूह के सदस्य हैं अथवा वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ वर्ग के हैं ।

अपने साथ यूनिस्को का नाम जोड़कर क्लब यूनिस्को के आधारभूत सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं । यद्यपि यूनेस्को विभिन्न देशों के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों अथवा क्लब संघ द्वारा मान्यता प्राप्त क्लबों को अपना नाम संयुक्त करने की अनुमति देता है तथापि इन क्लबों का युनेस्को से कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं है । इनके कार्य-कलापों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित देश के यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग पर होता है । क्लब के साथ जुड़े यूनेस्को नाम को संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि कभी-कभी क्लब के कार्य-कलाप यूनेस्को के कार्य-क्षेत्र के परे संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अभिकरणों यथा खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिसेफ आदि के कार्यों से सम्बन्धित होते हैं ।

अनेक विविधताओं के प्रत्युत यूनेस्को क्लब अपने द्विपक्षीय कार्यों के कारण एक परिवार में सम्मिलित हैं। इनके कार्यों का एक पक्ष है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य है।

राष्ट्रीय स्तर पर इनका कार्य नागरिक जागरूकता उत्पन्न करना है जिससे सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति चेतना जागरित हो, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता हो और व्यक्ति को अपने राष्ट्र के विकास सम्बन्धी समस्याओं को समझते हुए अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो। इसमें संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना नहीं हैं। नागरिक चेतना अपने वास्तविक रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को समाहित करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्लब राष्ट्रीय स्तर से परे अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहयोग की भावना विकसित करने के लिये प्रयास करते हैं। इसके लिए विविध देशों के व्यक्तियों से वार्ता, विचार-विमर्श, सूचनाओं का प्रसारण, अध्ययन, सम्पर्क की अनेकानेक विधियाँ अपनायी जाती हैं। समग्र मानव जाति के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा इन समस्याओं के समाधान में कार्यरत संगठनों को समर्थन प्रदान करने के लिए ये प्रयत्नशील हैं।

विचारों में विभिन्नता के प्रत्युत क्लब के सदस्य समान रूप से मिलकर कार्य करते हैं। इसके लिये उनमें सहिष्णुता की आवश्यकता है जिसके बिना राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय चेतना सम्भव नहीं है। साथ ही विचारों में वस्तुनिष्ठता अपेक्षित है ताकि समालोचनात्मक चिन्तन किया जा सके और अन्य लोगों के दृष्टिकोणों को समझने में सहायता मिले।

यूनेस्को क्लब के उद्देश्य

यूनेस्को क्लबों के उद्देश्य संक्षेप रूप में निम्नवत है :—

* यूनेस्को के उद्देश्य और आदर्शों की जानकारी बढ़ाना तथा उसके कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रयत्न करना।

* विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति तथा मानव मात्र के सांस्कृतिक उत्तराधिकार की विस्तृत जानकारी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्वशान्ति की भावना को बढ़ावा देना।

* मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से उत्पन्न प्रश्नों के व्यावहारिक अध्ययन के द्वारा अपने सदस्यों, विशेषरूप से युवावर्ग की नागरिक एवं प्रजातांत्रिक दीक्षा में योगदान करना।

* प्रमुख विश्व समस्याओं के अध्ययन द्वारा सहिष्णुता तथा सत्य की खोज में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित करना।

* आर्थिक तथा सामाजिक विकास में भाग लेना, जिसे मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक दशा के रूप में समझा जाना चाहिए।

* विकासशील देशों की सहायता हेतु तकनीकी दृष्टि से विकसित देशों में, विशेषरूप से लोकमत तथा शासन को सहायता प्रदान करने हेतु तत्पर करने के लिए, कदम उठाना।

इनमें से किसी भी उद्देश्य को प्राथमिकता देने हेतु प्रत्येक क्लब स्वतंत्र है । सामान्यत: विकासशील देशों में में क्लब अपने राष्ट्रीय विकास को प्रमुखता प्रदान कर रहे हैं, जबकि विकसित देश विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दे रहे हैं ।

संगठन

यूनेस्को क्लब तीन प्रकार के हो सकते है :—

1. **स्कूल क्लब**—ये विद्यालयों में स्थापित किये जाते हैं जिसमें विद्यालयों के छात्र तथा अध्यापक सम्मिलित होते हैं । इस प्रकार के क्लबों की संख्या अधिक हैं क्योंकि विद्यालय में भवन, पुस्तकालय, सभागार, उपकरणों आदि की सुविधा उपलब्ध होती है तथा शिक्षकों का नेतृत्व भी उपलब्ध होता हैं । क्लब के माध्यम से विद्यार्थी पारस्परिक सद्भावना, राष्ट्रीय विकास एवं विश्वशान्ति की दिशा में विविध कार्य-कलापों में भाग लेते हैं । इससे प्राप्त प्रशिक्षण उनकी विद्यालयीय शिक्षा का पूरक सिद्ध होता हैं।

2. **विश्वविद्यालयीय छात्र क्लब** —महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में यूनेस्को क्लबों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । ये क्लब नवयुवकों में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं तथा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याओं के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं क्योंकि इस आयुवर्ग में भावावेश से संचालित होने की सम्भावना अधिक होती है । इन क्लबों के सदस्य अन्य क्लबों में विविध विषयों पर वार्ता प्रस्तुत करके उन्हें सहयोग प्रदान कर सकते हैं ।

3. **विद्यालयेतर क्लब, वयस्क क्लब**—समाज के किसी वर्ग द्वारा इस प्रकार के क्लब संगठित किये जा सकते हैं ।

सदस्यता—सभी वर्गों के व्यक्ति यूनस्को क्लब के सदस्य हो सकते है । अधिकतर क्लब की सदस्यता 20-50 के मध्य है परन्तु विभिन्न देशों में सदस्य-संख्या में विभिन्नता है और यह 100 से 500 तक मिलती है । लेकिन प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए क्लब की सदस्य संख्या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिये । क्लब की सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को इसके उद्देश्यों और कार्यों से अवगत करा देना चाहिये जिससे वे समर्पित भावना के साथ क्लब के कार्यों में योगदान कर सकें ।

संविधान—प्रत्येक क्लब को देश में प्रचलित नियमों के अनुसार अलाभकारी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये ताकि उसकी वैधानिक स्थिति सुदृढ़ रहे और करों में छूट तथा प्रशासकीय सहायता प्राप्त हो सके । क्लब को अपना संविधान भी निर्मित करने की आवश्यकता है । इसमें उन्हें यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग अथवा क्लब संघों से मार्गदर्शन मिल सकता है । इन संगठनों द्वारा नमूने के रूप में संविधान का प्रारूप उपलब्ध कराया जा सकता है । संविधान में यूनेस्को के आदर्शों के अनुरूप उद्देश्यों एवं कार्यकलापों की व्यवस्था होती है तथा सदस्यता प्रशासनिक संरचना, वित्तीय व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विस्तृत नियमों का निर्धारण होता है ।

साधारण सभा—क्लब की साधारण सभा होती है जिसमें क्लब के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं । साधारण सभा की बैठक नियमित अवधि में, सामान्यत: वर्ष में एक बार, होती है जिसमें क्लब के क्रिया-कलापों के विषय में निर्णय लिये जाते हैं, कार्य-कलापों की आख्या पर विचार किया जाता है तथा वित्तीय व्यवस्था पर निर्णय लिये जाते हैं ।

प्रशासनिक परिषद तथा 'ब्यूरो'---साधारण सभा द्वारा चुने हुए सदस्यों से प्रशासनिक परिषद का गठन होता है। प्रशासनिक परिषद चुनाव द्वारा प्रतिवर्ष 'ब्यूरो' का गठन करती है जिससें एक अध्यक्ष, एक या अधिक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक अथवा अधिक सहायक सचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। 'ब्यूरो' द्वारा ही क्लब के समस्त कार्य-कलापों का संचालन किया जाता है। ब्यूरो की बैठकें आवश्यकतानुसार समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। चूंकि ज्ञान का प्रसार करना क्लब का एक महत्वपूर्ण कार्य है, अतः 'ब्यूरो' के सदस्य के रूप में एक पुस्तकालयाध्यक्ष सम्मिलित रहना उपयोगी है।

कार्यकारी दल, विभाग तथा अनुभाग---क्लब द्वारा किसी विशेष कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए कार्यकारी दल का गठन किया जा सकता है। क्लब में विभागों की स्थापना भी की जा सकती है जो विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित क्रिया-कलापों का आयोजन करते हैं यथा विज्ञान, साहित्य, भाषा शिक्षण, दर्शन, मानविकी, सिनेमा, पर्यटन आदि। इसी प्रकार के प्रयोजन से अनुभागों का गठन किया जा सकता हैं, उदाहरणार्थ, पत्रिका प्रकाशन अनुभाग, शोध अनुभाग, जनशिक्षा अनुभाग, अध्ययन एवं पर्यटन अनुभाग, क्रीड़ा अनुभाग इत्यादि।

क्लब संघ—अनेक देशों में यूनेस्को राष्ट्रीय आयोगों द्वारा क्लब संघों की स्थापना का प्रयास किया गया है, जो यूनेस्को क्लबों को मार्गदर्शन-प्रदान करते हैं तथा उनमें परस्पर सहयोग के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

आर्थिक संसाधन—यूनेस्को क्लब के प्रबन्ध में आर्थिक आत्मनिर्भरता का सिद्धान्त अपनाया जाता है। क्लबों द्वारा मुख्यतः सदस्यता-शुल्क तथा जनसाधारण के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रमों यथा प्रदर्शिनी, नृत्य-गान, चलचित्र-प्रदर्शन, नाटक आदि से धन संग्रहीत किया जाता है। सदस्यता-शुल्क का निर्धारण क्लब द्वारा स्वयं किया जाता है। क्लब संघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिये इसी शुल्क-राशि से क्लब संघ को निर्धारित राशि दी जाती है।

उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त क्लब को कुछ संगठनों अथवा विभागों द्वारा वित्तीय सहायता भी प्राप्त हो सकती है। इसमें योगदान करने वालों में यूनेस्को राष्ट्रीय आयोग, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, क्रीड़ा मंत्रालय, सांस्कृति कार्यकलापों से सम्बद्ध मंत्रालय, स्थानीय स्वायत्त शासन निकाय आदि प्रमुख है। व्यापारिक संस्थानों अथवा विशिष्ट व्यक्तियों से भी सहायता प्राप्त हो सकती है।

यूनेस्को, उसके राष्ट्रीय आयोग तथा क्लब संघों के द्वारा पुस्तकें, पत्रिकायें, चलचित्र, स्लाइड्स, टेप रिकार्डिंग आदि सामग्री के रूप में भी सहायता प्राप्त हो सकती है।

कार्य-कलाप

यूनेस्को क्लब अपने संसाधनों एवं सदस्यों की रुचि के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के कार्यक्रमों को अपना सकते हैं :—

व्याख्यानों, वादविवादों, विचार गोष्ठियों का आयोजन—इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिये विविध विषयों का चयन किया जा सकता है, यथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तथा उनके कार्य, मानव-अधिकार, नस्लवाद की समस्या, विश्व में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति, खाद्य समस्या, ग्रामीण विकास की समस्यायें, युवावर्ग की विकास में भूमिका सांस्कृतिक सहयोग आदि।

कार्यकारी दल का संयोजन—किसी विशिष्ट समस्या का अध्ययन करने के लिये कार्यकारी दल संयोजित किया जा सकता है।

जनसाधारण के लिये विविध कार्यक्रमों का आयोजन—क्लब द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नाटक, नृत्य-गान का आयोजन किया जा सकता है, जिनके द्वारा विभिन्न देशों की संस्कृति से परिचय हो सके। इसी प्रकार चलचित्र प्रदर्शन, स्लाइड, टेप रिकार्डिंग आदि का भी प्रयोग हो सकता है। कला प्रदर्शिनी भी सद्भावना के विकास में अत्यन्त उपयोगी हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा सकता है यथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, वाद-विवाद, कविता प्रतियोगिता आदि।

वर्षगाँठ मनाना, 'अन्तर्राष्ट्रीय वर्षों' में भाग लेना तथा यूनेस्को अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित अभियानों में योगदान—क्लब विभिन्न देशों के स्वतंत्रता दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानव अधिकार दिवस, विश्व की महान विभूतियों के जन्म दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष, साक्षरता अभियान आदि के आयोजन में भाग ले सकते हैं।

सूचना सामग्री का संकलन, प्रणयन एवं प्रसार—यूनेस्को क्लब संयुक्त राष्ट्र संघ एवं यूनेस्को आदि के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रकाशनों को उपलब्ध करके उनके माध्यम से ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे स्वयं भी उपयोगी सूचना सामग्री की रचना कर सकते हैं।

प्रशिक्षण कोर्सों का आयोजन—यूनेस्को क्लब द्वारा अपने सदस्यों तथा समुदाय के अन्य लोगों के लिए विविध प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा सकते हैं यथा भाषा-शिक्षण, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, शिशु-पालन, पाक-कला, सिलाई, कढ़ाई आदि के प्रशिक्षण कोर्स।

विकास कार्यों, सामाजिक सेवा, कार्य शिवरों का आयोजन—वर्तमान परिस्थितियों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार क्लब विकास कार्यों एवं सामाजिक सेवा में भाग ले सकते हैं, उदाहरणार्थ, कृषि विकास कार्य, चिकित्सालय की स्थापना, जीवन-रक्षा हेतु रक्तदान अभियान, साक्षरता अभियान आदि।

अन्य क्लबों से आदान प्रदान, पर्यटन तथा अतिथियों का अभिनन्दन—देश तथा विदेश के यूनेस्को क्लबों से ज्ञान के आदान-प्रदान द्वारा क्लब की प्रगति को दिशा प्राप्त होती हैं तथा अन्य देशों की जानकारी में अभिवृद्धि होती है। पर्यटन से पुस्तकीय ज्ञान को मूर्तरूप मिलता है तथा विदेशी अतिथि के आगमन से सम्बन्धित देश के विषय में प्रत्यक्ष रूप से अवगत होने का अवसर प्राप्त होता है।

यूनेस्को क्लबों के उद्देश्यों और व्यापक कार्य-कलापों पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं शान्ति के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। साथ ही राष्ट्रीय एकता तथा देश के विकास कार्यों की दिशा में भी ये अत्यन्त उपयोगी माध्यम सिद्ध हो सकते हैं। इनके महत्व को देखते हुए यह अपेक्षित है कि सभी विद्यालयों में यूनेस्को क्लबों की स्थापना का प्रयास किया जाय।

अध्याय 5

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)

संगठन

यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरंग हिस्सा है लेकिन इसकी अर्धस्वायत्त स्थिति है। इसका अपना संचालन मंडल और सचिवालय हैं। 30 राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल यूनिसेफ की नीति बनाता है, कार्यक्रमों की जाँच करता है और परियोजनाओं तथा संस्था के काम को चलाने के लिए फंड देता है। मंडल का नियमित रूप से सालाना अधिवेशन होता है और इसकी रिपोर्ट पर आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा जनरल असेम्बली विचार-विमर्श करती है।

यूनिसेफ के प्रशासन की जिम्मेवारी कार्यकारी निदेशक पर है। उसकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव मंडल की सलाह से करता है। जनवरी 1980 से श्री जेम्स पी० ग्रान्ट यूनिसेफ के महासचिव हैं।

बाल अधिकारों का समर्थन करने, उस बारे में सलाह देने और बाल कल्याण कार्यक्रमों को बनाने का काम यूनिसेफ के फील्ड कार्यालयों द्वारा किया जाता है। यूनिसेफ प्रतिनिधि के मातहत कार्यक्रम अधिकारी संबद्ध मंत्रालयों और संस्थाओं की उन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और चलाने से मदद करते हैं जिनमें यूनिसेफ सहयोग दे रहा है। 1981 में यूनिसेफ के 39 फील्ड कार्यालय 111 विकासशील देशों के लिए थे। इनमें 609 व्यावसायिक और 1,253 क्लर्क एवं अन्य सामान्य सेवा पद थे। न्यूयॉर्क, जेनेवा और कोपेनहेगेन में अतिरिक्त कार्यक्रम स्टाफ है जो यहाँ यूनिसेफ के पैकिंग और असेम्बली (बाँधना और हिस्से जोड़ना) केन्द्र को चलाता है। 1981 में स्टाफ और कार्यालय की ये सुविधाएँ यूनिसेफ के कार्यक्रम सहायता बजट से दी गई थी।

वर्ष 1981 में न्यूयॉर्क और जेनेवा में कार्यकारिणी मंडल, नीति विकास और निदेशन, वित्त और कर्मचारी प्रबन्ध, लेखा-परीक्षण, सूचना तथा सहायता देने वाली सरकारों, यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों और ग़ैर सरकारी संस्थाओं के साथ सम्पर्क रखने के लिए 199 व्यावसायिक और 322 सामान्य सेवा स्टाफ रखा गया। इस स्टाफ का वेतन प्रशासनिक सेवा बजट से दिया गया। 1982-83 में इन सेवाओं का व्यय दो साल के संयुक्त बजट से दिया जायेगा।

लोगों को बच्चों की जरूरतों के बारे में बताने और यूनिसेफ के काम के लिए लोगों का सहयोग जुटाने में राष्ट्रीय समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विकासशील देशों के साथ यूनिसेफ का सहयोग

यूनिसेफ किसी भी देश के कार्यक्रमों में सहयोग वहाँ की सरकार की सहमति और सलाह से करता है। कार्यक्रम को चलाने की प्रशासनिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार या तो इसे अपने ऊपर ले लेती है या किसी संस्था या संस्थाओं को देती है।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बच्चों की समस्याएं एक जैसी नहीं हैं। उन्हें एक तरह से सुलझाया भी नहीं जा सकता। हर देश के लिए अलग तरीका अपनाना होगा। कोई भी एक फॉर्म्यूला पूरी तरह से उन देशों पर नहीं लागू किया जा सकता जो विकास के अलग-अलग दौर से गुज़र रहे हैं, सांस्कृतिक भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से एक-

दूसरे से अलग हैं और जिनका प्रशासनिक ढांचा एक-दूसरे से बहुत अलग है। इसी कारण यूनिसेफ के सहयोग का रूप राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय अन्तरों के अनुरूप बदल जाता है।

विकासशील देशों के साथ यूनिसेफ बहुत तरह से सहयोग करता है। यह बच्चों को लाभ पहुँचाने वाली सेवाओं की योजनाओं के बनाने और विस्तार में तथा देशों के बीच अनुभवों के लेन-देन में मदद करता है। यह राष्ट्रीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण को मजबूत बनाने के लिए फंड और सेवाओं के विस्तार के लिए तकनीकी सामान, मशीनें तथा अन्य मदद देता है।

स्वास्थ, शिक्षा, समाज सेवा, कृषि, ग्राम विकास, समुदाय विकास और जल आपूर्ति तथा स्वच्छता जैसे विभिन्न सम्बद्ध मंत्रालय या अन्य अधिकारी कार्यक्रमों को चलाने में मदद करते हैं।

यूनिसेफ जिन क्षेत्रों में मुख्य रूप से सहयोग करता है, उनमें पहला है—बाल स्वास्थ्य जिसमें मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी है। यह मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के भीतर किया जाता है। दूसरा है पीने और घर के कामकाज तथा आस-पास सफाई रखने के लिए पानी। तीसरा है बाल पोषण। चौथा है प्राथमिक और अनौपचारिक शिक्षा। पांचवा हैं बच्चों के लिए समाज कल्याण सेवाएँ। छठा है स्त्रियों की दशा में सुधार और अन्तिम है आपात्कालीन राहत और पुनर्वास।

समुदायों में इन समस्याओं को मंत्रालयों के विभाजन के अनुसार न तो देखा जाता है और न महसूस किया जाता है। उदाहरण के लिए बाल कुपोषण की समस्या अक्सर गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन की कमी, दो बच्चों के जन्म में अन्तर न होने का सम्मिलित परिणाम है। यह समस्या पोषण संबंधी जानकारी के अभाव तथा साफ पानी और सफाई की कमी से भी पैदा हो सकती है। अगर केवल एक ही क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश की जाती है और उसके साथ-साथ दूसरे क्षेत्रों में नहीं तो उस एक क्षेत्र में की जाने वाली कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। इसीलिए यूनिसेफ की बहुक्षेत्री पद्धति में तकनीकी और सामाजिक दोनों पहलू आ जाते हैं।

बुनियादी सेवाएं

समुदाय सहयोग बुनियादी सेवा पद्धति का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। यूनिसेफ इस पद्धति का पूरा-पूरा समर्थन करता है। इस पद्धति का विकास समय के साथ हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों और माताओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है।

इस पद्धति में कम आय वाले समुदायों की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार उनकी अपनी सामुदायिक गतिविधियों के कारण आता है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और दूसरे बाहरी सहयोग के तीन मुख्य उद्देश्य है। पहला समुदाय को बढ़ावा देना है कि वह देखे कि उसके बच्चों की जरूरतें क्या हैं और इनमें से कुछ जरूरतों को पूरा करने में हिस्सा ले। दूसरा तकनीकी और प्रशासकीय ढांचे को मजबूत बनाना हैं जिससें परिवार और समुदाय द्वारा की जाने वाली कोशिशों को सहारा मिले। तीसरा है वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सम्बन्धी क्षेत्रों में इसी ढांचे के भीतर इस तरह की मदद देना कि वह समुदाय के लायक हो।

इस पद्धति का एक अनिवार्य पहलू समुदाय द्वारा एक/ज्यादा सदस्य को समुदाय कार्यकर्ता के रूप में चुनना है। इस कार्यकर्ता को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण रिफरेशर कोर्सों द्वारा मजबूत बनाया जाता है। प्रशिक्षण के बाद कार्यकर्ता समुदाय की आम जरूरतों को पूरा करते हैं और जिन समस्याओं को निबटाने की इनमें योग्यता नहीं होती या जिसके लिए इनके पास साधन नहीं होते, उन्हें ये आगे रैफर कर देते है। समुदाय कार्यकर्ता की मदद के लिए सरकारी सेवाओं को मजबूत बनाना पड़ता है खासतौर से अर्ध व्यावसायिक सेवाओं को।

बाहर से समुचित सहायता मिलने से समुदाय के भीतर उन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है जो बच्चों के कल्याण पर असर डालती हैं और जिनका खर्च देश तथा समुदाय उठा सकते हैं क्योंकि इससे वे कौशल काम में लाए जाते हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था।

सहयोग का आधार

यूनिसेफ बच्चों की उन समस्याओं को दूर करने में सहयोग देता है जहाँ कुछ किया जा सकता है। यह सरकारों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है कि वे नियमित रूप से बच्चों की स्थिति की जाँच करें और अपनी व्यापक विकास योजना के हिस्से के रूप में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करें।

राष्ट्रीय सेवाओं के विकास में सरकारों के साथ काम करने में यूनिसेफ निम्नलिखित आधार पर काम करता है :

* आधारभूत उद्देश्य है देशों की अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाते जाना ;
* कम आय वाले समूहों या दूसरे वंचित समूहों के बच्चों को लाभ पहुँचाने वाली सेवाओं को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी जाती है इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं का फैलाव बढ़ता है।
* नई और "पूर्व विनियोग" (पहले से लागत लगाना) परियोजनाओं को उन तरीकों की जाँच में लगाया जाता है जिन्हें बाद में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है ;
* राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कौशलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है ;
* बाल कल्याण सेवाओं में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण, योजनाओं को मजबूत बनाने और उनके विस्तार पर बल दिया जाता है ;
* देश पर लगातार पड़ने वाले खर्च का मूल्यांकन उतनी ही सावधानी से करना होगा जितने ध्यान से यूनिसेफ पर पड़ने वाले खर्च का।
* यूनिसेफ के सहयोग की लागत का मूल्यांकन करने में देखना होगा कि इससे बच्चों को (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) कितना लाभ मिल रहा है। इसमें दूसरे आय वर्गों को मिलने वाले लाभ को नहीं देखा जायेगा।
* कम विकसित और कम आय वाले देशों के बच्चों को लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों को ज्यादा मदद दी जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था और अन्य सहायता एजेन्सियों के साथ संबंध

संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक संबंध है। यूनिसेफ इस व्यवस्था का एक हिस्सा है। यह द्विपक्षी सहायता एजेन्सियों और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी काम करता है क्योंकि यह इस बात को अच्छी तरह समझता है कि जब वित्तीय संसाधनों और तकनीकी तथा संचालन कौशलों को बाल कल्याण कार्यक्रमों की डिजाइन करने और लागू करने में लगाया जाता है तो इससे उनका असर बहुत बढ़ जाता है। इस तरह की संबंध व्यवस्था का यह लाभ है कि विकासशील देशों में यूनिसेफ हर कार्यक्रम क्षेत्र में अपना सहयोग काफी मात्रा में दे पाता है। कुछ देशों में एक विशिष्ट समस्या के हल में यूनिसेफ द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय सहयोग काफी कम

हो सकता है लेकिन यह कार्यक्रम को गति देने वाला होता है और इससे व्यापक सहयोग का रास्ता खुलता है। यह एक ऐसा केन्द्र बिन्दु बन जाता है जहाँ दूसरी संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों में पैसा लगाने से पहले पद्धतियों को जाँचा जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था के भीतर कौशलों का आदान-प्रदान दो स्तरों पर होता है—पहला देश के स्तर पर उन कार्यक्रमों के विकास में जो अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर चलते हैं और दूसरा संस्थाओं के बीच नीतियों और अनुभव के आदान-प्रदान में। यह आदान-प्रदान एक प्रशासकीय समिति (ए० सी० सी०) द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संस्था और यूनेस्को की समय-समय पर सचिवालय में हुई बैठकों के जरिए किया जाता है। बच्चों के लिए नीति और कार्यक्रमों पर सलाहकार समिति के जरिए भी एजेन्सियाँ एक-दूसरे के साथ सलाह मशवरा करती हैं।

देशों के कार्यक्रमों में सहयोग देने में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेन्सियों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संस्था, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तकनीकी सलाह का लाभ उठाता है। देशों के स्तर पर यूनिसेफ विशिष्ट एजेन्सियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को नहीं देता लेकिन उनके कार्यक्रमों में मदद देता है खासकर उनमें जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय शामिल होते हैं। इसके साथ, विशिष्ट एजेन्सियाँ समय-समय पर यूनिसेफ के साथ मिलकर विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों पर रिपोर्ट तैयार करती हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य नीति पर यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त समिति है जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग नीति पर सलाह देती है और बीच-बीच में इनको जाँचती है।

यूनिसेफ के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेज़ीडेन्ट प्रतिनिधि के साथ मिलकर काम करते हैं। महासचिव ने ज्यादातर रेज़ीडेन्ट प्रतिनिधियों को व्यावहारिक कार्यकलापों के लिए रेज़ीडेन्ट कोओरडिनेटर का नाम दिया है। हालाँकि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की कार्यपालक एजेन्सी नहीं हैं, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के देशीय कार्यक्रमों में सूचना के लेन-देन का काम करती है।

यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था की फंड देने वाली अन्य एजेन्सियों जैसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जन-संख्या कार्यकलाप फंड, विश्व खाद्य कार्यक्रम इत्यादि के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोग करता है। यह क्षेत्रीय विकास बैंकों और बच्चों को लाभ पहुचाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों पर काम करने वाले क्षेत्रीय विकास बैंकों और आर्थिक और सामाजिक कमीशनों के साथ काम करता है। कार्यपालक मंडल के 1979 के सत्र से यूनिसेफ द्विपक्षीय एजेन्सियों से उन कार्यक्रमों के लिए उत्तरोत्तर ज्यादा सहयोग माँग रहा है जिनके लिए उसके पास पैसा नहीं है।

विकासशील देशों में यूनिसेफ कार्यक्रमों में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है खासकर यूनिसेफ द्वारा बुनियादी सेवाओं में समुदाय सहयोग पर जोर दिए जाने के कारण। उपेक्षित समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं में लचीलापन है और इसकी उन्हें आजादी है या उन दूर-दराज क्षेत्रों तक उनकी पहुँच है जहाँ अभी तक सेवाओं का और कोई ढाँचा नहीं है। ऐसी गैर सरकारी संस्थाएँ समुदाय और सरकारी अधिकारियों के बीच कड़ी का काम कर सकती हैं और स्थानीय समुदायों की उनके अपने संसाधनों को जुटाने और बुनियादी सेवाओं की योजना बनाने में मदद कर सकती हैं। कुछ विशिष्ट स्थितियों में, सरकारें गैर सरकारी संस्थाओं पर उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का भार डाल देती हैं जिनमें यूनिसेफ सहयोग दे रहा है। नवीन परियोजनाओं द्वारा गैर सरकारी संस्थाएँ विकास सहयोग के उन मॉडलों के साथ प्रयोग कर सकती हैं जिन्हें उसके बाद यूनिसेफ तथा अन्य संस्थाएँ दूसरे क्षेत्रों में या बड़े पैमाने पर अपना सकती हैं।

आपात्स्थिति में, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र विनाश राहत समन्वयकर्ता, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय तथा संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की अन्य एजेन्सियों जैसे विश्व खाद्य कार्यक्रम, रैड क्रॉस सोसायटी लीग और रैड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के साथ मिलकर काम करता है।

कोष

1980 में यूनिसेफ को 31 करोड़ 30 लाख अमरीकी डालर प्राप्त हुए थे। इसमें से 25 करोड़ 90 लाख नियमित कार्यों के लिए और 5 करोड़ 40 लाख आपात् कालीन राहत और विशेष कार्यों के लिए थे।

यूनिसेफ की आय सरकारों, संस्थाओं और लोगों का अपनी मर्जी से दिया योगदान है। ज्यादातर पैसा यूनिसेफ के सामान्य साधनों के लिए है, या उन पूरक परियोजनाओं के लिए जिन्हें बोर्ड ने साधन होने पर सहायता देने के लिए एक तरफ रखा है या फिर इन्हें आपात्कालीन राहत और पुनर्वास कार्यों में लगाया जा सकता है।

हालाँकि यूनिसेफ को मदद मुख्य रूप से सरकारों से मिलती है, यह ऐसी संस्था नहीं है जिसका बजट अनुमानित होता है। यह सरकारों से अपने खर्च का कोई भी हिस्सा नहीं माँग सकती। 1980 में, 128 उद्योगशील और विकासशील देशों की सरकारों ने यूनिसेफ को सहयोग दिया। यह यूनिसेफ की कुल आय के 69 प्रतिशत से ज्यादा था (इसमें कम्पूचिया राहत के लिए दी मदद शामिल नहीं है)।

कई सालों तक दस देश सरकारी मदद का 90 प्रतिशत देते रहे। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली ने इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकारों द्वारा अपनी मर्जी से देने वाली मदद को करीब बराबर करने की अपील की है। इसी तरह, कार्यपालक मंडल ने सभी सरकारों से योगदान बढ़ाने की अपील की, खासतौर पर उनसे जो अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार यूनिसेफ को मदद नहीं दे रहे थे।

लोग और संस्थाएँ भी यूनिसेफ की आय के जरूरी जरिये हैं। 1980 में इनका योगदान 15 प्रतिशत था। दुनिया भर में प्राइवेट संस्थाओं और सामान्य जनता के साथ यूनिसेफ का अनोखा सम्बन्ध है। जन सहयोग वैयक्तिक योगदान, बधाई पत्रों की बिक्री, लाभ पहुँचाने वाले उत्सवों, संस्थाओं द्वारा अनुदानों और स्कूल के बच्चों के संग्रह के रूप में प्रकट होता है। अक्सर फंड इकट्ठा करने वाले इन प्रयासों के लिए यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियाँ आर्थिक सहायता देती हैं। ये समितियाँ 32 देशों में काम कर रही हैं।

वित्तीय साधनों के कम होने के बावजूद यूनिसेफ बच्चों को लाभ पहुँचाने वाली राष्ट्रीय सेवाओं और कार्यक्रमों को सहयोग देने वाले सबसे बड़े जरियों में से एक है। इसलिए फंड इकट्ठा करना मुख्य उद्देश्य का एक हिस्सा है। यह उद्देश्य है बच्चों को लाभ पहुँचाने वाली सेवाओं के लिए साधनों के और अधिक फैलाव को बढ़ावा देना।

यूनिसेफ की फंड इकट्ठा करने की नीति का उद्देश्य है कार्य योजना में लगने, वाले खर्च को पूरा करना और इसके लिए एक ओर परम्परा से ज्यादा योगदान देने वालों से ज्यादा योगदान लेने और दूसरी तरफ सहायता के लिए अन्य जरियों का विकास करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना।

इस दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम यूनिसेफ के विशेष दूत साउदी अरेबिया के राजकुमार तलाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की अथक कोशिशों के कारण 1980 में सफलता की ओर बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र विकास संस्थाओं के लिए अरब खाड़ी कार्यक्रम जिसका प्रारम्भ प्रिंस तलाल ने किया है, उससे मुख्यरूप से यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को लाभ पहुँचेगा।

अध्याय—6

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (ह्यूमन राइट्स)

मानव अधिकारों की अवहेलना अशान्ति, संघर्ष, उत्पीड़न एवं अत्याचार का प्रमुख कारण है। अतः विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति की स्थापना के लिए सभी मनुष्यों की जन्मजात गरिमा और अधिकारों की समानता के प्रति आदर विकसित करना अनिवार्य आवश्यकता है।

मानव अधिकारों की स्थापना के महत्व का अनुभव करते हुए 10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा' की गई और सदस्य राज्यों का इस घोषणा के प्रचार-प्रसार तथा उसको कार्यान्वित करने का आह्वान किया गया।

मानव अधिकारों की घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं, जो निम्नवत हैं :—

अनुच्छेद 1. सभी मनुष्यों के गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और सामानता प्राप्त है। उन्हें बुद्धि और अन्तरात्मा की देन प्राप्त है और परस्पर उन्हें भाईचारे की भावना से बर्ताव करना चाहिए।

अनुच्छेद 2. सभी को इस घोषणा में सन्निहित सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का हक है। इस मामले में जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचारधारा, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, सम्पत्ति या किसी प्रकार की अन्य स्थिति आदि के कारण भेदभाव का विचार न किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई फर्क न रखा जायेगा।

अनुच्छेद 3. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4. कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा, गुलामी प्रथा व गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

अनुच्छेद-5. किसी को भी शारीरिक यातना न दी जायेगी, न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुविक या अपमानजनक व्यवहार होगा।

अनुच्छेद 6. हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति का अधिकार है।

---

1. मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक, सार्वजनिक सूचना कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क, 1978 पृष्ठ 10-16.

अनुछेच्द 7. कानून की निगाह में सभी समान हैं और सभी बिना भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाए या उस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकार से उकसाया जाए, तो उसके विरुद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है।

अनुच्छेद 8. सभी को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक है।

अनुच्छेद 9. किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबन्द या देश-निष्कासित न किया जाएगा।

अनुच्छेद 10. सभी को पूर्णतः समान रूप से हक है कि उनके अधिकारों और कर्तव्य निश्चय करने के मामले में और उन पर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष एवं निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनुच्छेद 11. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप किया गया हो, तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहाँ उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत या अकृत (अपराध) के कारण उस दण्डनीय अपराध का अपराधी न माना जाएगा, जिसे तत्कालीन प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध न माना जाए और न उससे अधिक भारी दण्ड दिया जा सकेगा जो उस समय दिया जाता जिस समय वह दण्डनीय अपराध किया गया था।

अनुच्छेद 12. किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 13. (1) प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के अन्दर स्वतन्त्रतापूर्वक आने, जाने व बसने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराए किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश को वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14. (1) प्रत्येक व्यक्ति को सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार है।

(2) इस अधिकार का लाभ ऐसे मामलों में नहीं मिलेगा जो वास्तव में गैर राजनैतिक

अपराधों से सम्बन्धित हैं या जो संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य हैं।

अनुच्छेद 15. (1) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार है।

(2) किसी को भी मनमाने ढंग से अपने राष्ट्र की नागरिकता से वंचित न किया जाएगा या नागरिकता का परिवर्तन करने से मना न किया जाएगा।

अनुच्छेद 16. (1) बालिग स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म की रुकावटों के, आपस में विवाह करने और परिवार को स्थापित करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के विषय में वैवाहिक जीवन में, तथा विवाह विच्छेद के बारे में समान अधिकार है।

(2) विवाह का इरादा रखने वाले स्त्री-पुरुषों की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।

(3) परिवार समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई है और उसे समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 17. (1) प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और दूसरों के साथ मिलकर सम्पत्ति रखने का अधिकार है।

(2) किसी को भी मनमाने ढंग से सम्पत्ति से वंचित न किया जाएगा।

अनुच्छेद 18. प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत अपना धर्म या विश्वास बदलने और अकेले या दूसरों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप में अथवा निजी तौर पर अपने धर्म या विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना, तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने का अधिकार है या स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 19. प्रत्येक व्यक्ति को विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम के जरिये से तथा सीमाओं की परवाह न करके किसी भी सूचना व धारणा का अन्वेषण, ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है।

अनुच्छेद 20. (1) प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है और अधिकार है।

(2) किसी को भी संस्था का सदस्य बनने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21. (1) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का समान अधिकार है।

(3) सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। इस इच्छा का प्रकटन समय-समय पर और असली चुनावों द्वारा होगा। ये चुनाव सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या किसी अन्य समान स्वतन्त्र मतदान पद्धति से कराए जायेंगे।

अनुच्छेद 22. समाज में एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतन्त्र विकास तथा गौरव के लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधन के अनुकूल हों—अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

अनुच्छेद 23. (1) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पावे का हक है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिये बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने का अधिकार है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को, जो काम करता है, अधिकार है, कि वह इतनी उचित अनुकूल मजदूरी पाए जिससे वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऐसी आजीविका का प्रबन्ध कर सके जो मानवीय गौरव के योग्य हो तथा आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति अन्य प्रकार के सामाजिक संरक्षणों द्वारा हो सके।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें भाग लेने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24. प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम व अवकाश का अधिकार है। इसके अन्तर्गत काम के घंटों की उचित हदबन्दी और समय-समय पर मजदूरी सहित छुट्टियाँ सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद 25. (1) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन-स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हों। इसके अन्तर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें और आवश्यक समाज सेवाएं सम्मिलित हैं। सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य, बुढ़ापा या अन्य किसी ऐसी परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर जो उसके काबू के बाहर हो, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

(2) जच्चा व बच्चा को खास सहायता व सुविधा का हक है। प्रत्येक बच्चे को चाहे वह विवाहिता माता से उत्पन्न हो या अविवाहिता से, समान सासाजिक संरक्षण प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 26. (1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारम्भिक व बुनियादी

अवस्थाओं में निःशुल्क होगी। टेक्निकल, यांत्रिक और पेशा सम्बन्धी शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर समान रूप से उपलब्ध होगी।

(2) शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों तथा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना व सहिष्णुता का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा।

(3) माता-पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि किस किस्म की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाएगी।

अनुच्छेद 27. (1) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनन्द लेने, तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक व आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है जिसका रचयिता वह स्वयं हो।

अनुच्छेद 28. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक व अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों व स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।

अनुच्छेद 29. (1) प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतन्त्र और पूर्ण विकास सम्भव हो।

(2) अपने अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसी ही सीमाओं द्वारा बद्ध होगा जो कानून द्वारा निश्चित की जाएँगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जिनकी आवश्यकता एक प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

(3) इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30. इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के उपरान्त संयुक्त राष्ट्रों ने सिद्धान्तों की समझौता उपबन्धों में

रूपान्तरित करने के लिए प्रयास किया और अन्ततः 1976 में 'मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक' तीन महत्वपूर्ण लेखपत्रों के प्रभावान्वित होने के साथ एक वास्तविकता बन गया :

1. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौता। (3 जनवरी, 1976 को लागू हुआ)।
2. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौता। (23 मार्च 1976 को ऐच्छिक प्रलेख के साथ लागू हुआ)।
3. परवर्ती समझौते का ऐच्छिक प्रलेख।

सामान्य रूप से इन समझौतों के उपबन्ध मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निर्धारित अधिकारों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेदों से प्रकट है कि उच्च मानवीय आदर्शों से प्रेरित इस घोषणा में सभी मनुष्यों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रताओं का किसी भेदभाव के बिना व्यापक रूप से निर्धारण किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में इन मानव अधिकारों के अनुरूप प्रावधान सन्निहित हैं।

इन मानव अधिकारों के प्रति समुचित आदर की भावना विकसित करने के लिए इनके व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ विद्यालयों में विद्यार्थियों को इनके विषय में विशेष रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

इसके लिए विद्यालयीय पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इतिहास द्वारा अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता आदि की स्थापना के लिए जो प्रयास और संघर्ष हुए हैं उसका अध्ययन कराया जा सकता है। नागरिकशास्त्र द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का ज्ञान कराया जा सकता है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का भी उपयोग इस दिशा में हो सकता है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकी के अध्ययन के साथ जातीय भेदभाव का निराधार होना स्पष्ट किया जा सकता है।

सहपाठ्यक्रमीय क्रिया कलापों के रूप में विद्यार्थियों को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि से ऐसी घटनाओं का समाचार-संकलन करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिनमें मानव अधिकारों का हनन हो। इन अधिकारों की स्थापना के उपायों पर विचार करने के लिए निबन्ध प्रतियोगिता, वाद-विवाद आदि का आयोजन किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये चित्र-प्रदर्शिनी, चलचित्रों, एकांकी अभिनय आदि का उपयोग हो सकता है।

सार्वभौम मानव अधिकारों की शिक्षा के लिये प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस का विशेष रूप से उपयोग हो सकता है। इस अवसर पर विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए, जिनके माध्यम से उन्हें मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, उनकी स्थापना के लिए, विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा होने वाले प्रयासों, मानव अधिकारों के हनन की घटनाओं आदि से परिचित कराया जा सकता हैं और इस विषय में उन्हें अपना कर्तव्य निश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

परिशिष्ट I

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुने गये उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की सूची (इंडियन नेशनल कमीशन फार कोआपरेशन विद यूनेस्को द्वारा 20-4-82 को प्रकाशित सूची के अनुसार)।

नाम	संबंधित सूची में क्रमांक
1. प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट कन्स्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज लखनऊ	7/A/298
2. प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट बेसिक ट्रेनिंग कालेज वाराणसी	7/A/299
3. प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज झाँसी	7/A/300
4. प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज लखनऊ	7/A/301
5. प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज मुजफ्फरनगर	7/A/302
6. प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट सी० टी० ट्रेनिंग कालेज फार विमेन लखनऊ	7/A/303
7. प्रिंसिपल मेरठ कालेज, मेरठ	7/A/304
8. प्रिंसिपल तिलकधारी ट्रेनिंग कालेज जौनपुर	7/A/305
9. प्रिंसिपल डी० ए० वी० ट्रेनिंग कालेज कानपुर	7/A/306

10.	प्रिंसिपल के० पी० ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद	7/A/307
11.	प्रिंसिपल क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज लखनऊ	7/A/308
12.	प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट जुबिली इण्टर कालेज लखनऊ	7/A/309
13.	प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट क्वीन्स इण्टर कालेज वाराणसी	7/A/310
14.	प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज इलाहाबाद	7/A/311
15.	प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज इलाहाबाद	7/A/312
16.	प्रिंसिपल जगत तारन गर्ल्स इण्टर कालेज इलाहाबाद	7/A/313
17.	प्रिंसिपल एम० एस० स्कूल, हरिबाबा आश्रम ग्राम-मोलनपुर पो०-गौन, जिला बदायूं	7/A/314
18.	प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट हामिद हायर सकेन्डरी स्कूल रामपुर	7/A/315
19.	प्रिंसिपल इस्लामिया इण्टर कालेज इटावा	7/A/316
20.	प्रिंसिपल गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज बुलन्दशहर	7/A/317

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aminismation
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4862
Date 12/9/89

21. प्रिंसिपल 7/A/318
गवर्नमेन्ट इण्टर कालेज
मेरठ 7/A/319
22. प्रिंसिपल
कु० उद्यान विद्यालय
अशोकनगर, कानपुर
23. प्रिंसिपल 7/A/320
आर्य गर्ल्स इण्टर कालेज
इलाहाबाद
24. प्रिंसिपल 7/A/321
गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज
गोरखपुर
25. प्रिंसिपल 7/A/322
गवर्नमेन्ट गर्ल्स इण्टर कालेज
फैजाबाद
26. प्रिंसिपल 7/A/323
माउन्ट कॅमेल कान्वेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूल
महानगर, लखनऊ
27. प्रिंसिपल 7/A/324
मेरी वाना मेकर हायर सेकेन्डरी स्कूल
इलाहाबाद
28. प्रिंसिपल 7/A/325
गौरी गर्ल्स इण्टर कालेज
इलाहाबाद
29. प्रिंसिपल 7/A/326
वी० एन० गवर्नमेन्ट कालेज
ज्ञानपुर, वाराणसी

उत्तर प्रदेश के यूनेस्को पार्टिसिपेटिंग विद्यालय (जनवरी 1, 1983 की स्थिति के अनुसार)

1. प्रिंसिपल 7/B/23
एच० एम० एस० इस्लामिया इण्टर कालेज
इटावा

NIEPA DC
D04862